उन्नति विचार

वर्ष : 9 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2004

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
सामाजिक सुरक्षाः संकल्पना और व्यवहार

आपके लिए 13
लोक भागीदारी से चुनाव की प्रक्रिया में सुधार

विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारी 19

अपनी बात 23
बाल संसद

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 27

संदर्भ सामग्री 34

अपने बारे में 37

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा

गरीब व उनके परिवार बुनियादी काम की सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा से कोसों दूर हैं। उदारीकरण की वर्तमान परिस्थिति के अधीन ले-ऑफ व कांट्रेक्ट पर आधारित नयी उत्पादन व्यवस्था के कारण औपचारिक श्रम-दल सिकुड़ जाने से काम की असुरक्षा में वृद्धि हुई है। औपचारिक से अनौपचारिक व्यवस्था की तरफ इस गति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण अहमदाबाद नगर है, जहां कपड़ा मिलों के अस्सी हजार से अधिक मजदूर भवन-निर्माण करने वाले मजदूर, बोझा ढोने वाले मजदूर, कचरा बीनने वाले और फेरी लगाने वाले बन गए। 'उन्नति' ने १९९६-९९ के दौरान जो अध्ययन किया था वह भी यही अभिप्राय दर्शाता है।

गरीबों की असुरक्षा काम की असुरक्षा से जुड़ी हुई है। विपत्तियों का सामना करने की क्षमता के साथ भी असुरक्षा जुड़ी हुई है। अकाल जैसी विपत्तियां धीमी गति की होती हैं पर वे हजारों परिवारों को दूसरे धंधे अपनाने के लिए वे दूसरी जगह जाने को विवश कर देती हैं। जातिवादी और साम्प्रदायिक संघर्ष भी रोजगार के बदलाव और ढांचागत व्यवस्था के परिवर्तन में परिणत होते हैं, क्योंकि मजदूर और कांट्रेक्टर या मालिक अलग-अलग बस्ती में आसानी से नहीं घूम सकते।

धंधों में और काम की पद्धति में परिवर्तन ऐसे गरीबों की सामाजिक सुरक्षा पर सीधे असर डालते हैं, जिन्हें शायद ही सामाजिक सुरक्षा जैसा कुछ नसीब हो पाता हो। गरीब लोग अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के प्रश्नों के आसपास संगठित किया जा सकता है और उन्हें विज्ञापित किया जा सकता है। इस वर्ग को बहुधा अविज्ञप्त रखा जाता है, यदि इन्हें सामाजिक-सुरक्षा के आसपास संगठित किया जा सके तो ये अपनी पहचान प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादातर गरीब लोग अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ करते हैं। जैसे कि वे एक साथ खेत मजदूर होते हैं, निर्माण कार्य के मजदूर होते हैं, पशु पालक होते हैं और कढ़ाई-बुनाई के काम करते हैं। अतः उन्हें सामाजिक-सुरक्षा के मुद्दे के आसपास संगठित करने का मौका रहता है। एक बार मजदूर अपनी पहचान बना लें और अपने काम के दस्तावेज संभाल लें तो फिर मालिकों का उनके लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु योगदान करने का दायित्व बन जाता है।

गरीबों के लिए काम करने वाले संगठनों ने उनको सामाजिक-सुरक्षा प्रदान करने हेतु नई व्यवस्थाएं निर्मित की हैं। मध्य भारत में एक संगठन ने खेत मजदूरों के लिए बीमा योजना बनाई है। उसमें प्रीमियम के तौर पर उनसे वही बाजरी या जवार ली जाती है जो वे उगाते हैं। इसका निर्धारण जमीन

शेष पृष्ठ 33 पर

सामाजिक सुरक्षाः संकल्पना और व्यवहार

गरीबों की गरीबी, साधन हीनता और असहायता को दूर करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है सामाजिक सुरक्षा। इस सुरक्षा का क्या अर्थ है, यह सुरक्षा कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है - ये बुनियादी सवाल हैं। भारत में सरकारी और गैर-सरकारी संगठन सामाजिक सुरक्षा के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाते हैं, उसकी जानकारी **श्री बिनोय आचार्य** और **श्री हेमन्तकुमार शाह** के द्वारा इस लेख में दी गई है। इसके उपरांत, इसमें सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इन बातों की भी चर्चा की गई है कि यह असंगठित क्षेत्र के लिए क्यों अनिवार्य है और भविष्य में क्या क्या कदम उठाये जाने जाहिए।

प्रस्तावना

सुरक्षा का अर्थ साधारण तौर पर रक्षा से सम्बद्ध है। देश की रक्षा, घर की रक्षा, धन की रक्षा आदि के साथ यह भाव जुड़ा हुआ है, अतः राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून एवं व्यवस्था तथा फौजी कार्यवाही के साथ इसका संबंध है, ऐसा माना जाता है। परंतु सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा का भी समावेश होता है। सम्पूर्ण समाज अपने सभी सदस्यों की चिंता रखे, यह विचार सामाजिक सुरक्षा का आधार है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान करना पड़ता है। जैसी जिसकी शक्ति हो, वह वैसा योगदान दे। जो व्यक्ति योगदान देने की स्थिति में बिल्कुल न हो उसकी सामाजिक सुरक्षा का खर्च समाज वहन करे और समाज के प्रतिनिधि के नाते अर्थात् एक सामाजिक संस्था के नाते राज्य करें।

धनाढ्य देशों में भी राज्य 'कल्याणकारी राज्य' की भूमिका तो निभाता ही है। ऐसे में भारत जैसे विकासमान देशों में राज्य की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परंतु विकासमान देशों में भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था अधिक से अधिक मात्रा में संगठित क्षेत्र के लोगों तक पर्याप्त मजबूत रही है, असंगठित क्षेत्र के लोग अधिकांशतः इस लाभ से वंचित रहे हैं

तालिका - १

आदर्श सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो?

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा की आदर्श व्यवस्था हेतु मापदंड निम्नानुसार हो सकते हैं:

(१) आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को आर्थिक सुरक्षा के तत्त्वों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात् उनका रोजगार, आय तथा मिल्कियत के साथ संबंध होना चाहिए। ये योजनाएं व्यापक हों, अधिकाधिक लोगों को समेटें, ऐसा होना अपेक्षित है।

(२) अभिगम में बहुलता

असंगठित क्षेत्र में रोजगार के प्रकार अलग-अलग होते हैं। अतः सामाजिक सुरक्षा की एक ही तरह की व्यवस्था सर्वत्र लादने के प्रयास नहीं करने चाहिए। कई मामलों में कल्याणकारी कोष की व्यवस्था अधिक उपयुक्त लगती हैं तो कई स्थितियों में सहकारी मंडलियां अधिक उपयोगी रहती हैं। वैसे कोई भी योजना या कार्यक्रम विकेन्द्रित रूप से चलना चाहिए ताकि स्थानीय शक्तियों का वांछित उपयोग हो सके। इस अभिगम से महत्तम संख्या की योजनाओं से अधिक संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है।

(३) प्रवर्तमान स्थानीय शक्ति का उपयोग

असंगठित क्षेत्र के लिए जो कार्यक्रम चलते हों, उनकी ताकत और निर्बलताओं को परखना चाहिए। कमजोरियां दूर हों और वर्तमान ताकत बढ़े, ऐसा काम करना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम अधिक लोगों तक पहुंचते हैं और पैसा प्राप्त होता है। जबकि गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा चलने वाली योजनाएं प्रतिभावात्मक, यथा समय सेवा प्रदान करने वाली और कम खर्चीली होती हैं।

तालिका - २
सामाजिक सुरक्षा मॉडल

मॉडल	लाभ का स्वरूप	लाभार्थी	प्रशासनिक/वित्तीय व्यवस्था
१. मालिक की जिम्मेदारी	१. मजदूर को मुआवजा २. मातृत्व का लाभ ३. ग्रेच्युटी ४. छंटनी का मुआवजा	संगठित क्षेत्र के कर्मचारी	मालिक संचालन करते हैं और वे ही पैसों का भुगतान करते हैं।
२. सामाजिक बीमा	१. चिकित्सकीय देखभाल २. बीमारी के लाभ ३. मातृत्व का लाभ ४. व्यवसाय जनित चोट	संगठित क्षेत्र के कर्मचारी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आइ.सी.) द्वारा व्यवस्था। परंतु उसमें मालिकों, मजदूरों व संबंधित राज्य सरकारों का योगदान
	१. वृद्धत्व लाभ २. अक्षमता लाभ ३. वारिस को लाभ ४. भविष्य निधि (पी.एफ.)	१. संगठित क्षेत्र के कर्मचारी २. असंगठित क्षेत्र के कई कर्मचारी	केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा व्यवस्था। परंतु उसमें मालिकों, मजदूरों व केन्द्र सरकार का योगदान।
३. सामाजिक सहायता अ. कल्याण कोष - केंद्र सरकार	१. चिकित्सकीय देखभाल, शिक्षा २. घर, जल, आपूर्ति ३. शिक्षण, वृद्धत्व लाभ ४. उत्तराधिकार लाभ	१. खान मजदूर २. बीड़ी मजदूर ३. फिल्म मजदूर ४. भवन निर्माण मजदूर	विभागीय व्यवस्था तथा सेस के रूप में विशेष लेवी द्वारा धन की प्राप्ति
आ. केरल सरकार के कल्याण कोष	व्यापक लाभः वृद्धत्व लाभ चिकित्सकीय संभाल, शिक्षण विवाह हेतु मदद	हथकरघे मजदूर, काथी मजदूर आदि जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर	स्वायत्त बोर्ड द्वारा व्यवस्था तथा मालिकों कर्मचारियों तथा अन्यों द्वारा योगदान
इ सहायित बीमा	१. वारिस लाभ २. अक्षमता लाभ	खेत मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि मजदूरों के असहाय समूह	एल.आइ.सी. व जी.आइ.सी. द्वारा व्यवस्था तथा केंद्र व राज्य सरकार का योगदान
ई सामाजिक सहायता के अन्य स्वरूप में	१. वृद्धत्व लाभ २. मातृत्व का लाभ ३. वारिस लाभ ४. रोजगार हेतु सहाय ५. शिक्षा ६. शिक्षण आदि	रोजगारी के बाजार से बाहर के व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग, गृह विहीन, अनाथ, परित्यक्ता और तलाकशुदा स्त्रियां, विधावाएं, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि	विभागीय व्यवस्था और सरकारी आय से खर्च

अथवा उनको जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। उदाहरणार्थ, भारत सरकार अपने ३६ लाख कर्माचारियों हेतु पेंशन योजना के पीछे प्रतिवर्ष लगभग ६००० करोड़ रुपये खर्च करती है, पर असंगठित क्षेत्र के उनसे ५० गुणा अधिक वृद्ध लोगों की पेंशन योजना हेतु इस राशि के बीसवें हिस्से जितनी भी राशि भी खर्च नहीं करती।

गरीब असंगठित होते हैं। भारत में ९३ प्रतिशत मजदूर असंगठित हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं सरकारे गढ़ती हैं, फिर भी ये योजनाएं बहुत कम लाभ देती हैं और काफी कम संख्या में लाभार्थियों को शामिल करती हैं, यह एक ठोस हकीकत है। ऐसे में गैर-सरकारी संगठनों ने भी असंगठित क्षेत्र के लोगों हेतु अपने कार्यक्षेत्रों के अंदर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं काफी समय से शुरू की हैं। इन दोनों प्रकार की योजनाओं का समन्वय हो और गरीबों व असहाय लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, यह जरूरी है। यदि ऐसा होगा तभी गरीबों की असहायता घटेगी अथवा दूर होगी।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषक, खेती मजदूर, कारीगर, छोटे मछुआरे, वृद्ध महिलाओं के अधीन वाले परिवार इत्यादि असहाय समूह में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापार करने वाले फेरीवाले, रेहड़ी चलाने वाले, छोटे उद्यमी आदि असहाय समूह के भाग हैं। ये सब कई बार स्थाई रूप से असहायता के शिकार बन जाते हैं तो कई बार आकस्मिक कारणों से असहायता के पात्र बन जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आकस्मिक असहायता स्थाई असहायता में परिणत हो जाती है। ऐसी व्यक्तिगत असहायता का दूर करना सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऐसी दशा में से ही विविध योजनाओं के द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार उत्पन्न होता है।

सामाजिक सुरक्षा किसे कहें?

विभिन्न संगठनों ने 'सामाजिक सुरक्षा' (सोशियल सिक्युरिटी) की अलग-अलग व्याख्याएं दी हैं और उनके अलग-अलग अर्थ घटन किये हैं। इस संबंध में 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन - आइ.एल.ओ.) द्वारा सन् १९८९ में दी गई व्याख्या इस प्रकार है: 'सामाजिक सुरक्षा अर्थात् समाज अपने सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक अथवा बीमारी, प्रसूति, नौकरी छूटने, बेकारी, असक्षमता, वृद्धता, मृत्यु की वजह से कमाई में रुकावट या बड़े नुकसान के कारण उत्पन्न दुर्दशा के विरुद्ध प्रदत्त रक्षा, चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था और बालकों वाले परिवरों हेतु सब्सिडी की व्यवस्था।'

बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि यह व्याख्या अधूरी है व अपर्याप्त है। इसकी वजह ऐसी धारणा बना कर चलना है कि अधिकांश लोग नौकरी करते हैं और उससे प्राप्त कमाई से वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। परंतु विशेष रूप से विकासमान देशों में ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग जो काम करके अपनी रोजी कमाते हैं, वह टुकड़ों-टुकड़ों में फुटकर होती है, असुरक्षित होती है और उससे सामाजिक सुरक्षा संबंधी खर्च शायद ही निकल पाता हो। इस संदर्भ दूसरी दो व्याख्याएं महत्वपूर्ण हैं:

(१) **आर. के. ए सुब्रमण्य**

सुब्रमण्य की व्याख्या (१९९४) इस प्रकार है: 'सामाजिक सुरक्षा समग्र समुदाय के द्वारा उसने सदस्यों को दी जाने वाली, उनके जीवन स्तर के निर्वहन की अथवा राष्ट्रीय एकता पर आधारित आय के पुनर्वितरण के साधनों द्वारा कम से कम सह्य जीवन स्थिति की गारंटी है। दूसरे शब्दों में कहें तो, सामाजिक सुरक्षा के विचार को व्यापक संदर्भ में इस तरह समझना चाहिए कि वह समाज द्वारा व्यक्ति को दिया जाने वाले सहारा है, जिससे वह उचित जीवन स्तर प्राप्त कर सके और किन्हीं भी आकस्मिक परिस्थितियों में उनमें होने वाली कमी के विरुद्ध सुरक्षा दे सके।'

(२) **आई. पी. गेतुबिग**

आई.पी. गेतुबिग ने १९९२ में सामाजिक सुरक्षा की व्याख्या इस प्रकार दी थी: 'समाज के सदस्य अपनी बुनियादी जरूरतें (पर्याप्त पोषण, आवास, स्वास्थ्य संभाल, स्वच्छ पेय जल आदि) प्राप्त कर सकें, साथ ही आकस्मिकता (बीमारी, अपंगता, मृत्यु, बेकारी और बुढ़ापे) के समक्ष रक्षा प्राप्त कर सकें और सामाजिक स्तरों की संगति में जीवन स्तर निर्वाह तथा उन्हें ताकतवर बनायें इस तरह की प्रवृत्तियां अथवा कदम।'

तालिका - ३
भवन निर्माण मजदूरों हेतु योजना

१. लाभार्थी के रूप में पंजीकरण

(१) लाभः निर्माण कार्य से जुड़ा जो मजदूर इस कानून के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होगा, वह बोर्ड के कोष से दिये जाने वाले लाभ प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

(२) पंजीकरण की पात्रताः (१) जिस निर्माण कार्य मजदूर की उम्र १८ से ६० वर्ष के बीच हो वह अपना पंजीकरण करवा सकता है। (२) वह किसी भी तरह का निर्माण कार्य का काम करता हो। (३) पिछले १२ महीनों में वह ९० दिनों से अधिक समय तक काम में लगा हुआ हो।

(३) पंजीकरण का आवेदनः(१) निर्माण कार्य मजदूर को निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। (२) बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी को वह आवेदन देना होगा। (३) आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। (४) पंजीकरण शुल्क ५० रु. से ज्यादा नहीं होना चाहिए। (५) आवेदन कर्ता को अपनी बात कहने का अवसर दिये बिना आवेदन पत्र को रद्द नहीं किया जा सकेगा। (६) कानून की व्यवस्था के अनुसार आवेदन किया गया होगा तो निर्माण कार्य मजदूर लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होगा।

२. पहचान पत्रः (१) बोर्ड प्रत्येक लाभार्थी निर्माण कार्य मजदूर को एक पहचान पत्र देगा। (२) पहचान पत्र पर निर्माण कार्य मजदूर की फोटो चिपकी होगी। (३) निर्माण कार्य मजदूर द्वारा किये गये काम का उल्लेख उसमें हों, इतना स्थान उसमें रखा जाएगा। (४) प्रत्येक मालिक उसमें उसके द्वारा किये गए काम का उल्लेख करके हस्ताक्षर करेगा और वापिस लौटायेगा। (५) सरकारी या बोर्ड का कोई अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर या इंस्पेक्शन करने वाला अन्य कोई व्यक्ति जब मांगेगा तो निर्माण कार्य मजदूर को अपना पहचान पत्र बताना होगा।

३. निर्माण कार्य मजदूरों का हिस्सा

(१)लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण कार्य मजदूर को राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर के अनुसार प्रतिमाह कोष में अपना हिस्सा देना होगा। (२) अलग-अलग प्रकार के निर्माण कार्य मजदूरों के लिए हिस्से की दर अलग-अलग हो सकती है। (३) इस हिस्से के बारे में सरकार सत्तावार गजट में उसका विज्ञापन प्रकाशित करे। (४) यदि कोई लाभार्थी अपनी आर्थिक दशा के कारण हिस्सा न दे सके तो ज्यादा से ज्यादा तीन माह तक बोर्ड एक साथ हिस्से में माफी दे सकता है। (५) लाभार्थी अपने मालिक को वेतन में से वह हिस्सा काट लेने को कह सकता है। (६) इस तरह मालिक द्वारा काटी गई राशि १५ दिनों में बोर्ड में जमा करानी होगी। (७) जो लाभार्थी लगातार एक वर्ष से अधिक समय तक अपना हिस्सा नहीं देगा वह लाभार्थी नहीं रहेगा। (८) यदि बोर्ड के सचिव को ऐसा लगे कि अपना हिस्सा जमा न करा पाने के पीछे सही कारण है और निर्माण-कार्य मजदूर हिस्सा चुकाने को तैयार है तो उसे बाकी की राशि जमा कराने को कहा जा सकता है। यह राशि जमा कराये जाने के बाद उसका पंजीकरण फिर से चालू रहेगा।

४. राज्य कल्याण बोर्ड

(१) रचनाः

प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करेगी।

(२) सत्ता और कार्यः

इस कानून के अधीन निर्धारित कार्य यह बोर्ड करेगा तथा इसे ये अधिकार रहेंगे।

(३) अध्यक्ष और सदस्यः

(१) केन्द्र सरकार बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। (२) राज्य सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा १५ सदस्यों की नियुक्ति करेगी। (३) राज्य सरकार, मालिक और निर्माण कार्य मजदूरों के प्रतिनिधि इसमें बराबर संख्या में होंगे। (४) बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्या होगी।

(४) बोर्ड के कार्यः

(१) दुर्घटना की दशा में लाभार्थी को फौरन मदद देना। (२) ६० वर्ष की उम्र पार करने वालों को पेंशन देना। (३) लाभार्थी को मकान बनवाने के लिए ऋण देना। उससे संबंधित राशि व शर्तें तय करना। (४) समूह बीमा योजना हेतु प्रीमियम चुकाना (५) लाभार्थी या उसके आश्रित की किसी बड़ी बीमारी के इलाज का खर्च उठाना (७) महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ देना। (७) कल्याणकारी उपायों तथा सुविधाओं की व्यवस्था करना।

तालिका - ४
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (नेशनल सोशियल असिस्टेंस प्रोग्राम - एन.एस.ए.पी.) को १९९५-९६ के बज़ट से शुरू किया गया। ग्राम विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया था। उसने इसके लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा-परिचर्चा की थी। इस योजना का क्रियान्वयन १५.८.१९९५ से शुरू हुआ। इस कार्य में तीन योजनाओं का समावेश है:

(१) राष्ट्रीय वृद्धत्व पेंशन योजना (२) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (३) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केंद्र-पुरस्कृत योजना है। इसके स्तर, मार्गदर्शक बिंदु और शर्तें केंद्र सरकार ने तय की हैं। वृद्धत्व, परिवार में कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामलों में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता के लाभ देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का ध्येय लघुतम राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करना है। राज्य अपनी जो योजनाएं रखता है, उनके अलावा यह कार्यक्रम अधिक लाभ देकर लघुतम राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना चाहता है। देश में सब को समान रूप से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, यह उसका उद्देश्य है। राज्य सरकारों की इस कार्यक्रम की तरह ही अपने कार्यक्रम बंद कर देने की जरूरत नहीं, लेकिन वे इस कार्यक्रम के उपरांत अपनी योजनाएं क्रियान्वित कर सकती हैं। गरीबी उन्मूलन की तथा बुनियादी जरूरतें पूरी करने की जो अन्य योजनाएं चलती हैं उनके साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने का अवसर भी मिलता है। विशेष रूप से वृद्धत्व पेंशन योजना को गरीबों व वृद्धों हेतु चिकित्सकीय संभाल या अन्य लाभों संबंधी जो योजनाएं हैं, उनके साथ जोड़ा जा सकता है। अगर गरीब परिवार में जीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे इस कार्यक्रम के अधीन लाभ मिलें, इसके अलावा 'समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम' और 'नेहरू रोजगार योजना' के अधीन सम्मिलित किया जा सकता है। मातृत्व सहायता माता और बालक की संभाल के साथ जोड़ी जा सकती है और सगर्भा माताओं को अधिक उत्तम आहार प्रदान करने की व्यवस्था उसमें हो सकती हैं।

इन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतें और नगरपालिकाएं करेंगी ताकि वे अधिक प्रतिभावात्मक बनें और कम खर्चाली बनें। पंचायतों और नगरपालिकाओं को इसके लिए मजबूत बनाया जाएगा। वे सरकार से मिलने वाले लाभों के लिए पूरक धनराशि इकट्ठा करने हेतु भी प्रयत्न कर सकती हैं। यथासंभव स्वैच्छिक संस्थाओं को यह लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए शामिल करने हेतु पंचायतों और नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वैसे क्रियान्वयन का सारी जिम्मेदारी पंचायतों और नगरपालिकाओं की ही रहेगी।

इस योजना में सहायता की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:

(१) राष्ट्रीय वृद्धत्व पेंशन योजना: प्रति लाभार्थी प्रतिमाह ७५ रु.

(२) राष्ट्रीय कौटुम्बिक लाभ योजना: यदि परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाए तो उसे १०,००० रु. की सहायता

(३) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना: प्रथम दो बालकों के जन्म के दौरान प्रत्येक सगर्भावस्था पर ५०० रु.

उपर्युक्त व्याख्याएं सामाजिक सुरक्षा के विचार को व्यापक बनाती हैं और उनके रक्षणात्मक व प्रोत्साहन परक पक्षों को उजागर करती हैं। उनमें घटते जाने वाले जीवन स्तर के समक्ष रक्षा प्राप्त करने का तो समावेश है ही, साथ ही साथ सामान्य जीवन स्थिति के निर्वहन का भी समावेश है। सामाजिक सुरक्षा की आदर्श व्याख्या कैसी हो सकती है और असंगठित क्षेत्र को अधिक लाभ कैसे मिल सकता है, इसकी प्रस्तुति तालिका - १ में की गई है।

सरकारी योजनाएं

भारत में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी विविध प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई हैं। उनका क्रियान्वयन सरकारों के विविध विभाग करते हैं। तालिका-२ में भारत में सामाजिक सुरक्षा की जो विविध योजनाएं विविध स्तरों और विविध लोगों के लिए चल रही हैं, उन्हें अलग-अलग मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य

तालिका - ५
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

इस योजना का क्रियान्वयन 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (एन.एस.ए.पी.) के भाग स्वरूप किया जाता है। पहले उसका क्रियान्वयन केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। उसका क्रियान्वयन १५.८.१९९५ से शुरू हुआ था। सत्र २००१-०२ से उसका क्रियान्वयन परिवार कल्याण विभाग करता है। इस योजना का विवरण निम्न प्रकार है:

(१) सगर्भा महिलाओं को प्रथम दो बालकों के जन्म तक इस योजना का लाभ मिलता है।

(२) लाभार्थी महिला गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार की होनी चाहिए।

(३) इसमें सगर्भा महिला को ५०० रु. की मदद मिलती है।

(४) सगर्भा स्त्री को प्रसूति के १२ से ९ सप्ताह पहले एक ही सप्ताह में उक्त राशि दी जाती है।

(५) वैसे, प्रसूति के बाद भी लाभ दिया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक है।

(६) जन्म के समय बालक को पोलियो और बी.सी.जी. के टीके दिये जाते हैं और छह सप्ताह में डी.पी.टी. की पहली खुराक व पोलियों की दवा दी जानी अपेक्षित है।

सरकारें, केंद्र सरकार, सरकारों द्वारा गठित बोर्ड और बीमा कंपनिया किस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसकी जानकारी इस तालिका से मिलती है। सरकारी योजनाएं बहुत हैं और वे बहुत लोगों को सम्मिलित करती हैं, फिर भी सच्चाई यह है कि वे अपर्याप्त हैं। ऐसी ही एक योजना हाल ही में क्रियान्वित की गई है, जो निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए है।

भारत में भवन निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भवनों, पुलों, सड़कों, कारखानों, रेलवे, तंबू, स्टेडियम आदि अनेक प्रकार के निर्माण कार्य और उनके मरम्मत कार्य इस उद्योग के भाग हैं। इस उद्योग से लाखों असंगठित मजदूर देश भर में रोजी कमाते हैं। इतनी विशाल संख्या में रोजी कमाने वाले मजदूर ज्यादातर अब तक मालिकों, कंपनियों और ठेकेदारों की मरजी के मुताबिक काम करते थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी और आज भी दयनीय है। भवन निर्माण उद्योग देश के आर्थिक-विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परंतु उसमें रोजी कमाने वाले मजदूरों का कोई धणीधोरी (ध्यान रखने वाला) नहीं है।

इस संदर्भ में भारतीय संसद ने सन् १९९६ में भवन निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण हेतु और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दो कानून पारित किये थे। गुजरात सरकार ने अगस्त २००३ में उनके नियम भी बना लिये थे। इससे संबंधित कई विवरण तालिका-३ में दिये गए हैं।

निर्माण में संलग्न मजदूर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। गुजरात में तो निर्माण कार्य में खुली मजदूरी करने वाले मजदूर ज्यादातर आदिवासी होते हैं। उनके लाभ के लिए ये नए कानून बनाये गये हैं और उनमें कल्याण बोर्ड का गठन करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये गए हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं। तालिका-४ में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' तथा तालिका-५ में 'राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना' के लिए कतिपय विवरण दिये गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारें भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विविध योजनाएं चलाती हैं। गुजरात सरकार की ऐसी कई योजनाओं का विवरण तालिका-५ में दिया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

भारत में गैर-सरकारी संगठन असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाती हैं। आरंभ में बचत एवं ऋण कार्यक्रम चलाते हुए इन संगठनों को सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाने की जरूरत समझ में आई थी। ये कार्यक्रम इस समय संबंधित संगठन के कार्यक्षेत्र में ही क्रियान्वित होते हैं और उनकी पहुंच सीमित है। इस संदर्भ में उनकी योजनाओं के लक्षण ध्यान में लेने जरूरी हैं:

(१) लोगों का समावेश

सामाजिक सुरक्षा के कदम जिन लोगों के लिए हैं उन लोगों को योजना के क्रियान्वयन में शामिल किया जाता है, अर्थात् ये योजनाएं

ऐसी होती हैं कि लोगों की जरूरतों औ स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल होती हैं।

(२) सरलता

गैर-सरकारी संगठनों ने जो कदम उठाये हैं, वे गरीबों हेतु कार्यवाही के मामले में सरल हैं। वे योजनाओं को समझते हैं और वे यथासंभव अधिक परिमाण में योजना चलाते हैं। उनके लिए लाभ प्राप्त करना सरल है।

(३) अनियमितता की संभावना नहीं

लाभ के लिए की गई योजनाओं का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि लोग स्वयं योजना का क्रियान्वयन करते हैं अतः उसमें पारदर्शिता होती है और लोगों को योजना की कार्यवाही के विषय में पता रहता है।

(४) कम खर्चीली

गैर-सरकारी संगठन सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं क्रियान्वित करते हैं वे सरकारी योजनाओं की तुलना में कम खर्चीली होती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो स्थानीय संसाधन प्राप्त है, उनका सम्पूर्ण उपयोग किया जाता है। फिर, जो लोग गरीबों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनका व्यावसायिक व तकनीकी सहारा भी प्राप्त होता है।

(५) लोगों का योगदान

ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा गरीबों के लिए चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु आरंभिक धन देशी-विदेशी दाता-संस्थाओं से आता है। पर संगठन समग्र योजना को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप खर्च की वसूली हो और भविष्य में ये योजनाएं चलाने हेतु घन एकत्रित हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लाभार्थी आय बढ़ाने की प्रवृत्तियों में शामिल होते हैं और उनकी भुगतान की क्षमता बढ़े, इस तरह के प्रयास संगठन करते हैं। लाभार्थी स्वयं भी योजनाओं का खर्च वहन करने को तैयार रहते हैं।

उपर्युक्त लक्षणों के साथ की जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं गैर-सरकारी संगठन गरीबों हेतु चलाते हैं, वे विविध प्रकार की होती हैं। इन विविध प्रकार की योजनाओं द्वारा गरीब स्त्रियों को कुछ राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इन योजनाओं के प्रकार इस प्रकार हैं:

(१) बीमा योजनाएं

ये योजनाएं दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की योजनाएं गैर-सरकारी संगठन अपने कोष से चलाते हैं और दूसरे प्रकार की योजनाएं ऐसी हैं जो बीमा कंपनियों के साथ संलग्न होती है अथवा बीमा कंपनियों के साथ वे योजनाएं इस तरह जुड़ी होती हैं ताकि विविध प्रकार की राहतों का एक समन्वित पैकेज गरीबों को मिल जाए। उसमें बचत मंडली से लिए जाने वाले ऋण के लिए जमानत दी जाती है, परिवार में मृत्यु-प्रसंग पर सहायता दी जाती है, दुर्घटना के समय मदद दी जाती है, प्राकृतिक विपत्तियों के समक्ष राहत दी जाती है, घर और घर के सामन की हानि के प्रसंग में राहत प्रदान की जाती है, होस्पिटल के इलाज के व्यय में मदद दी जाती है, स्व-रोजगार के साधनों को होने वाले नुकसान के लिए भी राहत दी जाती है। इसके अलावा, उसमें जीवन-बीमा की, आकस्मिक मृत्यु बीमा की, वैधव्य राहत भी सम्मिलित रहती है।

(२) सम्पत्ति की हानि पर मुआवजा

बचत और ऋण कार्यक्रमों से सम्बद्ध अनेक गैर-सरकारी संगठन उत्पादक सामग्री की हानि के संदर्भ में राहत प्रदान करने की योजनाएं चलाते है। उसमें प्राकृतिक विपदा, आग, व्यक्तिगत सामग्री और काम गंवा देने के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा होता है। इसके अलावा पशुओं की मृत्यु के मामलों में मुआवजे दिये जाने के समय भी राहत प्रदान की जाती है।

(३) स्वास्थ्य-संभाल की योजनाएं

गरीब परिवरों की जीवन-दशा सुधरे, इसके लिए इस प्रकार की स्वास्थ्य-परक योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक जांच, सगर्भा स्त्री की प्रसूति पूर्व और पश्चात की देखभाल धात्री माताओं की संभाल, बाल स्वास्थ्य संभाल आदि की योजनाओं का समावेश होता है। छोटी बड़ी तमाम बीमारियों के मामले में इस तरह की योजनाएं राहत देने वाली होती हैं। निदान संबंधी सुविधाओं का भी इसमें समावेश है।

(४) पशुपालन संभाल

दूध देने वाले मवेशियों और भेड़ों-बकरियों के लिए इस तरह की योजनाओं को अमल में लाया जाता है। अलग-अलग पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। इसमें केवल पशुओं के स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, वरन् इसका भी ध्यान रखा जाता है कि पशुओं के दूध में वृद्धि हो ।

तालिका - ६
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु गुजरात सरकार की कुछेक योजनाओं का खर्च : २००३-०४

	बज़ट अनुमान रु. लाख
१. महिला एवं बाल विकास विभाग	
१. निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता	४४३८
२. किशोरियों हेतु काम और स्वविकास मार्गदर्शन केन्द्र	१६
३. महिला मार्गदर्शन केंद्र	६५
४. साग-सब्जी बेचने वाली महिलाओं के संगठन हेतु आर्थिक सहायता	५
५. निराश्रित महिलाओं, त्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता	१००
६. विशेष पोषण कार्यक्रम	६६
७. समन्वित बाल विकास योजना	६५८६
८. बालिका समृद्धि योजना	२००
९. बीमा योजना	३८
२. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
१०. बाल-मृत्यु निवारण एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	१३५
११. प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य	२५२
१२. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	८७०४
१३. सर्वग्राही संभाल (गरीबी निवारण)	१३९
१४. १४ वर्ष के आयुवर्ग के बालकों को चिकित्सा-सहायता	१०५२
३. श्रम एवं रोजगार विभाग	
१६. बीड़ी मजदूरों का कल्याण	१
१७. मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा	२
१८. ग्रामीण मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष	२१७
१९. नमक मजदूर कल्याण प्रवृत्ति	६
२०. बेरोजगार मजदूरों का पुनर्स्थापन	६५
२१. बंधुआ मजदूरों का पुनर्स्थापन	१

स्रोतः गुजरात सरकार का बज़ट २००३-०४, आय-पत्रक प्रकाशन नं. ११,१५,२७.

(५) गरीबों के लिए आवास

साधारण तौर पर अधिक गरीब मिट्टी के कच्चे घरों में रहते हैं। ऐसे घरों में सामान्यतया स्नानघर या शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। गैर-सरकारी संगठनों ने गृह-निर्माण के कार्यक्रम भी हाथ में लिये हैं और उनके द्वारा आवास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है।

(६) निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास

मानसिक व शारीरिक तकलीफों, विवाह-संबंधों में तनाव, अचानक वैधव्य अथवा तलाक आदि के कारण अनेक महिलाएँ निराश्रित हो जाती हैं। उनके लिए आवास, संभाल और रोजगार के अवसर की जरूरत होती हैं ताकि वे आत्म गौरव के साथ जी सकें। निराश्रित स्त्रियों के पुनर्वास का काम लंबी अवधि का होता है और

तालिका - ७
'सेवा' की बीमा योजना के लक्षण

'सेवा' द्वारा अभी 'बीमा सेवा' नामक जो बीमा योजना चलाई जा रही है, उसके लक्षण निम्नानुसार हैं:

(१) यह एक समन्वित सामाजिक सुरक्षा योजना है। जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और राष्ट्रीय बीमा निगम (एन.आई.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही है।

(२) यह समान जरूरतों और समान खतरों पर आधारित है।

(३) यह मुख्य रूप से 'सेवा' के सदस्यों के लिए हैं।

(४) यह धरोहर और बचत के साथ भी सम्बद्ध है।

(५) ग्राहकों के प्रतिभाव के आधार पर इस परीक्षण होता है और उसके अनुसार इसमें सुधार होते हैं।

(६) यह स्त्रियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना है।

(७) यह मांग-प्रेरित है। इसी रूप से इसका गठन किया गया है।

(८) इसकी सदस्यता वैकल्पिक है।

(९) यह स्वयं-सहायता और एकता के सिद्धांतों पर आधारित है।

आरंभ में उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं और बाहरी आर्थिक मदद प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

(७) अविवाहित माताओं और उनकी पुत्रियों का पुनर्वास

अविवाहित माताओं की पुत्रियों के लिए शाला चलाई जाती हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अविवाहित माताओं के लिए बचत-ऋण मंडल बनाये जाते हैं और उनके द्वारा उन्हें स्व-रोजगार प्रदान करने तथा आय वृद्धि की प्रवृत्तियां करने के प्रयास किये जाते हैं। व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोशिश भी उसमें की जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हें उचित रोजगार तलाश करने में मदद दी जाती है। विवाह के लिए भी उन्हें मदद दी जाती हैं।

(८) विकलांग स्त्रियों का पुनर्वास

विकलांग स्त्रियों की ओर मान से देखा जाए और उनको तुच्छ न समझा जाए, इस प्रयोजन से उनके पुनर्वास के ध्येय के साथ कई गैर-सरकारी संगठन सामाजिक-सुरक्षा की योजनाएं उनके लिए चलाते हैं। उनको आवश्यक शारीरिक-सुश्रूषा प्रदान की जाती है और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं

तालिका - ८
स्वास्थ्य-सुरक्षा के संबंध में 'सेवा' का अभिगम

सुरक्षा का व्यापक संदर्भ ध्यान में लें तो उसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा का समावेश हो जाता है। 'सेवा' ने स्वास्थ्य-सुधार के संबंध में जो अभिगम अपनाया है, उसके मुख्य तत्त्व निम्नानुसार हैं:

(१) स्वास्थ्य-सुरक्षा को काम की सुरक्षा के साथ जोड़ना

'सेवा' में जो तमाम आर्थिक प्रवृत्तियां चलती हैं उनमें एक घटक तत्व होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्यपरक तमाम प्रवृत्तियां उत्पादक-समूहों, मजदूरों की व्यापार समितियों, स्वयं सहायता समूहों व उनकी आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ सम्बद्ध होती हैं।

(२) स्थानीय महिलाओं की क्षमता वृद्धि

विशेषरूप से परंपरागत दाइयों की क्षमतावृद्धि, ताकि वे अपने गांवों या समुदायों की उपलब्ध चिकित्सक बनें।

(३) महिला-केंद्रित स्वास्थ्य संभाल

स्थानीय महिलाएं ही इसे संभालें। इसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्रजननपरक स्वास्थ्य, प्रसूति संबंधी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा पोषण आदि समाविष्ट हैं।

(४) स्वास्थ्य की सार्वजनिक समस्याओं का हल

गरीब परिवारों में टी.बी. जैसे रोगों का निवारण।

(५) स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहन

सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर तथा स्वास्थ्य-शिक्षा देकर स्वास्थ्य सुधारना व कल्याण में वृद्धि करना।

(६) स्वास्थ्य सेवाओं को बीमा के साथ जोड़ना

स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा उसके लिए बीमा का छत्र तानना। सफाई व साक्षरता जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी करना तथा अन्य विकासपरक कार्यक्रम चलाना।

(७) स्वावलंबन

स्त्रियां अपनी स्वास्थ्य परक प्रवृत्तियों की मालिक बनें, उन पर नियंत्रण करें और उनका संचालन करें। उसमें आर्थिक संचालन का भी समावेश हो।

तालिका - ९
सामुदायिक आर्थिक व्यवस्था के अभिगम

परंपरागत अभिगम	सेवाग्राम का अनुभव
१. इसमें समानता को प्रोत्साहन देने के लिए शायद ही कुछ किया जाता है। यह गरीबों व बीमार लोगों पर भारी बोझ डालता है।	१. क्षमता के अनुसार योगदान देने का सिद्धांत है। पर जरूरत के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह एक समतावादी व्यवस्था है।
२. इसमें स्थिरता का अभाव है तथा समुदाय के प्रयासों को मजबूत करने तथा टिकाये रखने के लिए किसी बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती हैं।	२. योजना पोसाने जैसी होती है और स्वीकार करने जैसी होती है तो आय स्थिर होती है और समुदाय स्थायी रूप से उसमें शामिल होता है।
३. व्यावसायिक दृष्टि से समझने में आने जैसी जरूरतों को पूरा करने के बजाय, जिनकी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बजाय, जिनकी स्थानीय स्तर पर ऊंची मांग है उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उत्पन्न करने का इसमें पक्षपात रहता है।	३. होस्पिटल को अपने खर्च का २५ प्रतिशत जुटाना होता है अतः डॉक्टर ज्यादा दवायें देना पसंद नहीं करते। साथ ही, शेष, ७५ प्रतिशत खर्च व्यवसायियों का ही होता है अतः वे टॉनिक और इंजेक्शन की मांगों के अंधाधुंध वशवर्ती नहीं हो जाते।
४. सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग होने का भय रहता है।	४. सुविधाओं पर लोगों का नहीं वरन् व्यवसायियों का अंकुश होता है, अतः अत्यधिक उपयोग का खतरा टाला जा सकता है।
५. गरीब लोगों के बीच इस विचार की स्वीकृति प्राप्त करना आसान नहीं।	५. योजना की जरूरत है और वह योजना पोसाने जैसी है - ये बातें योजना के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
६. यह व्यक्ति के बजाय समुदाय को अधिक लाभ देने की दृष्टि रखता है, अतः व्यक्ति इसमें सहभागी बनने के लिए तत्काल तैयार नहीं होता।	६. यह बीमा योजना व्यक्तिपरक है। इसमें जोखिम को बांटने की तत्व है अतः इसमें गरीब भागीदार बनने के लिए तैयार रहते हैं।

का मुख्य इरादा यह होता है कि वे समाज पर बोझा न बनें।

(९) परित्यक्ता एवं वृद्ध स्त्रियों की देखभाल व सुरक्षा

आर्थिक या अन्य किसी कारण से कई स्त्रियों को छोड़ दिया जाता है, तब उनकी सामाजिक सुरक्षा भी कई बार खतरे में पड़ जाती है। उनके लिए विशेष रूप से वृद्धाश्रम जैसी सेवाएं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अन्न, आवास और दवायें प्रदान करने हेतु इस तरह के वृद्धाश्रम चलाये जाते हैं। वृद्धाश्रम की निवासी स्त्रियों को आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐसी योजनाओं के लिए बहुधा लाभार्थियों से हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है, तब बाहरी आर्थिक दान पर ही आधारित रहना पड़ता हैं।

(१०) आर्थिक सुरक्षा की योजनाएं

असंगठित क्षेत्र में गरीब महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन आर्थिक-सुरक्षा की योजनाएं हैं। और ऐसी आर्थिक-सुरक्षा असंगठित क्षेत्र की स्त्री-कर्मचारी के जीवन के प्रत्येक स्तर पर जरूरी होती है। आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता देना है, उनका सामाजिक दर्जा ऊंचा ले जाना होता है, नयी पीढ़ी की स्त्रियों की बढ़ाना होता है और उनमें स्वावलंबन उत्पन्न करना होता है।

उपर्युक्त संदर्भ में 'सेल्फ एम्पलोयड वीमेंस एसोशियेशन' (सेवा) के द्वारा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो कुछेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका विवरण देखने योग्य है।

तालिका - १०
विपत्ति और सामाजिक सुरक्षा

वर्तमान वृत्ति	समन्वित दृष्टिकोण
१. विपत्तियों अथवा संघर्षों को अलग घटनाओं के रूप में देखा जाता है कि जो सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों का भाग नहीं है।	१. विपत्तियों और संघर्षों को विकास की सामान्य प्रक्रिया के भाग के रूप में देखा जाता हैं, और सामाजिक सुरक्षा का उसमें समावेश किया जाता है।
२. सामान्य समय के दौरान विपत्ति-निवारण और सामाजिक सुरक्षा के बीच के संबंधों का विश्लेषण कम होता है।	२. सामान्य समय के दौरान समाज के साथ के संबंधों का विश्लेषण बुनियादी चीज हैं।
३. तकनीकी, वित्तीय अथवा कानून और व्यवस्था के सामाधान विपत्ति के निवारण में या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रभुत्व रखते हैं।	३. समाज में संबंध और ढांचे में जो बदलाव लाये, ऐसे समाधान पर बल दिया जाती है। उद्देश्य लोगों की असहायता घटाने और उनकी क्षमता बढ़ाने का है।
४. मध्यस्थता की व्यूह रचनाओं में केंद्रित संस्थाओं का वर्चस्व होता है। लोगों की भागीदारी कम होती है ओर उन्हें दुष्प्रभावित माना जाता है।	४. मध्यस्थता की व्यूह रचनाओं में विकेंद्रित संस्थाओं और दुष्प्रभावितों की मालिकी की संस्थाओं का प्रभुत्व होता हैं। मध्यस्थता की व्यूहरचनाओं में लोक भागीदारी महत्वपूर्ण है। विपत्ति निवारण और सामाजिक सुरक्षा में लोगों को भागीदार माना जाता है।
५. क्रियान्वयन करने वाली राहत या कल्याण या सामाजिक सुरक्षा वाली संस्थाएं लोगों के प्रति कम उत्तरदायी होती हैं, उनकी प्रक्रिया कम पारदर्शी होती हैं।	५. क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर बल दिया जाता है।
६. घटना घटित हो जाने के बाद राहत और सामाजिक सुरक्षा हेतु मध्यस्थता की जाती है।	६. सामाजिक सुरक्षा का मूलभूत उद्देश्य ही विपत्तियों या संघर्षों का निवारण करना है।
७. मध्यस्थता का उद्देश्य घटना के पूर्व की परिस्थिति की ओर वापिस जाना है।	७. विपत्तियों व संघर्षो से असरग्रस्तों की सुरक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अवसर के रूप में देखने में आता है।

'सेवा' द्वारा जो बीमा योजना चलाई जा रही है, उनके कुछ लक्षण तालिका-७ में दिये गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाजिक सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए जो अभिगम 'सेवा' ने अपनाया है, उसका विवरण तालिका-८ में दिया गया हैं। ये दोनों तरह के विवरण यह दर्शाते हैं कि असंगठित क्षेत्र के लोगों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभिगम सामान्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की अपेक्षा भिन्न हो, यह जरूरी है। महाराष्ट्र के सेवाग्राम में एक निजी ट्रस्ट 'कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी' एक बड़ा अस्पताल चलाता है। उसने गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिगम विवरण तालिका-९ में दिया गया है। बुनियादी तौर पर यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और वह एक सक्षम विकल्प प्रदान करती है।

तालिका-१० में विपत्ति और सामाजिक सुरक्षा संबंधी वर्तमान दृष्टि और समन्वित दृष्टिकोण दर्शाए गए हैं। किसी भी तरह की प्राकृतिक विपत्ति या मानव-सृजित विपत्ति जबर्दस्त असुरक्षा उत्पन्न करती है। विशेष रूप से असहाय लोग और गरीबी में धकेल दिये जाते हैं। अतः विपत्ति के समय वाले सामाजिक सुरक्षा अभिगम में आमूल परिवर्तन की जरूरत है।

शेष पृष्ठ 26 पर

लोक भागीदारी से चुनाव की प्रक्रिया में सुधार

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है अतः चुनाव की प्रक्रिया जितनी स्वच्छ होगी, उसी अनुपात में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास दृढ़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा लिखे इस लेख में इस संबंध में चर्चा की गई है कि चुनाव की प्रक्रिया को लोक भागीदारी से किस प्रकार सुधारा जाए। विशेष रूप से लोगों और स्थानीय संस्थाओं की भीगीदारी से मतदाता सूचियों को कैसे सुधारा जाए इसकी चर्चा यहां की गई है।

प्रस्तावना

देश में चुनाव की प्रक्रिया में बार-बार तोड़-फोड़ होती है और इससे लोकतांत्रिक पद्धति को नुकसान पहुँचता है। लोगों को उपयुक्त व उत्तरदायी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु इस विकृति के आने से लोगों कि यह अधिकार विकृत होता है। यह एक खुशी की बात है कि चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के सघन प्रयास हाल के वर्षों में हुए हैं। ये प्रयास चुनाव आयोग ने भी किये हैं और गैर-सरकारी संगठनों ने भी किये हैं। अलग-अलग स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो प्रयास किये हैं उन्हें चुनाव आयोग ने समर्थन दिया है और उसने ठोस व पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने सख्ती से और स्वायत्तता से चुनाव के नियमों का पालन करके सक्रिय रुचि ली है। जो गैर-सरकारी संगठन हैं, उन्होंने न्यायपरक चुनावों के आयोजन तथा अपराधीकरण व धोखाधड़ी को घटाने के लिए प्रयास किये हैं। सच्चाई यह है कि लोगों के समर्थन व भागीदारी के बिना चुनाव आयोग भी मुक्त एवं न्यायोचित चुनाव आयोजन अधिकतर नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के प्रशासनिक आदेशों की भूमिका सीमित होती है। अतः यह आवश्यक है कि सामान्य मतदाता और उनके समूह इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन करें। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था तंत्र निर्मित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रबंध भी करने की जरूरत है।

चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सन् २००३ में सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया था, वह इस दिशा में एक कदम है। सर्वोच्च अदालत ने यह प्रस्तावित किया कि प्रत्येक प्रत्याशी को शपथपत्र पर तीन प्रकार के विवरण देने चाहिए:

(१) अपनी शैक्षिक योग्यता
(२) अपनी आर्थिक सम्पत्ति और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियां
(३) अपने विरुद्ध फौजदारी मामलों का उल्लेख।

सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले मे यह बताया कि मतदाता जानकारी परक चुनाव कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रत्याशियों के बारे में सारी सूचनाएं मिलनी चाहिए। अदालत के इस आदेश का अमल चुनाव आयोग को सभी चुनावों में करना होगा। एक तरह से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लोगों की मांगों और इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करता है। लेकिन साथ ही साथ वह एक बड़ी चुनौती भी है। राजनीतिक दल और लोग दोनों जानकारी परक चुनाव करें, इसके लिए उनको सहयोग देना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से चुनाव प्रक्रिया के बारे में लोगों का सूचना अधिकार प्रस्थापित हुआ है। इसे व्यवहार में लाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और नागरिक समाज को सक्रिय बनाने की जरूरत है।

चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी ज्यादातर मतदान तक ही सीमित रही है। जब भी मतदान होता है, लोग मतदान के सिवाय स्वयं चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। पर महत्त्व की बात यह है कि चुनाव सुधार असरदायी हों, इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव की प्रक्रिया में लोग भागीदार बनें। वास्तव में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात पर ही आधारित है। फिर, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी भी नहीं है। अतः राजनीति में

मतदाता के रूप में घोषणा हेतु ध्यान में रखने की बातें

(१) आप १८ वर्ष या इससे अधिक उम्र के हों तो आपके पास मतदाता पहचान-पत्र होना ही चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन ध्यान में रखकर संबंधित स्थान पर संपर्क करना चाहिए।

(२) अपने नाम संशोधन करवाने के लिए फार्म नं.८ भरना चाहिए।

(३) मतदाता सूची में नया नाम डलवाने के लिए फार्म नं.६ भरना चाहिए।

(४) मतदाता सूची में नाम कटवाने के लिए फार्म नं.७ भरना चाहिए।

(५) मतदाता सूची में नाम डलवाने, सुधारने या कटवाने जाएं, तभी देखकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका नाम और पता किस मतदान केन्द्र पर है।

अपराधीकरण अधिक ताकतवर बनता जा रहा है। परिणाम स्वरूप चुनाव और लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और अंत में वह राज्य में लोक स्वीकृति का संकट उत्पन्न कर देता है।

भारत में मतदान का औसत अनेक विकसित देशों की अपेक्षा ज्यादा है। यह अत्यंत उत्तम बात है। इस औसत को बनाये रखना हो और बढ़ाना हो तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार जरूरी हो जाता है। लोग मतदान करते हैं, यह स्वयं दर्शाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उनकी आस्था है। इस आस्था को अधिक बलवान तभी बनाया जा सकता है कि जब समग्र चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व शुद्ध बनाया जाए। चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व शुद्ध बनाया जाए। चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ करने का एक महत्त्वपूर्ण रास्ता है मतदाता सूचियों को व्यवस्थित करने का यहां इस बारे में कुछेक अन्य मुद्दों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं:

खराब मतदाता सूचियों के परिणाम

यदि मतदाता सूचियां व्यवस्थित न हो तो निम्न प्रकार के परिणाम आ सकते हैं:

(१) जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, उसका नाम चालू रहने से उसके नाम से कोई दूसरा मत डाल जाए और इस तरह बोगस मतदान की संभावना बन जाती है।

(२) जो लोग एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे हों, उनके नाम नए स्थान की सूची में दर्ज न हुए हों तो उन्हें अपने मूल निवास स्थान के मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए जाना पड़ेगा। यदि मूल निवास स्थान बहुत दूर होगा तो उन्हें मतदान जाना टालना होगा। अतः जो मतदान करना चाहते हैं वे मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते।

(३) जिनके नाम मतदाता सूचियों में होने चाहिए, उनके नाम वहां न होने से यदि वे मतदान केन्द्र पर मत देने जाते हैं तो बहुत निराश होना पड़ता है। मताधिकार से वंचित होने का अफसोस तो उन्हें होता ही है, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही उनका विश्वास उठ जाता है।

(४) जिनकी उम्र १८ वर्ष की गई है और मताधिकार के योग्य हो गए हैं, यदि उनके प्रयत्नों से नाम डलवाने के बावजूद सूची न नाम न हों तो वे प्रथम बार मताधिकार का अवसर खो बैठते हैं। वास्तव में, प्रथम बार मतदान करने वाले युवक-युवतियों को मतदान का बड़ा रोमांच रहता है। पर उन्हें वंचित रह जाना पड़ता है तो लोकतंत्र की प्रक्रिया से उनका भरोसा उठ जाता है।

(५) जो लोग स्थलांतर कर गए हों, उनके नाम मूल निवास स्थान और नये स्थान दोनों स्थानों की मतदाता सूचियों में हों तो उनके दो बार मतदान करने की संभावना रहती है। इस तरह बोगस मतदान की आशंका बढ़ जाती है।

लोकसभा के चुनाव में खर्च की सीमा और देखरेख

१. २२ राज्यों में लोकसभा के एक मत विस्तार में एक प्रत्याशी २५ लाख रु. तक का खर्च कर सकता है। इन २२ राज्यों की लोकसभा की सीटें दो अथवा दो से ज्यादा हैं। अतः गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में खर्च की सीमा २५ लाख रु. से कम है। ये निम्नानुसार हैं:

राज्य	खर्च लाख रु.
१. मणिपुर	२२
२. मेघालय	२२
३. मिजोरम	२०
४. अरुणाचल प्रदेश	१७
५. सिक्किम	१७
६. गोवा	१४

२. केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए चुनाव खर्च की सीमा १० लाख से २५ लाख रु. की है।

३. स्वयं उम्मीदार या उनके समर्थकों द्वारा किये गये खर्च का समावेश चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा में हो जाता है।

४. इन खर्च में पोस्टर, पेम्फलेट, सभाओं के आयोजन का खर्च, वाहन किराया, विज्ञापन आदि के खर्च का समावेश होता है।

५. कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार के लिए खर्च करे तो उसका समावेश उस उम्मीदवार के खर्च में होता है। हालांकि उसमें दल के नेताओं के प्रवास खर्च का समावेश नहीं होता। याने राजनीतिक दल विज्ञापन देते हैं तो उसका समावेश उम्मीदवार के खर्च में नहीं होता, सिवाय उनके जिनमें किसी उम्मीदवार को मत देने के लिए मतदाता से अपील की गई हो।

६. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने रोजमर्रा के खर्च का एक पत्रक रखना होता है। वह पत्रक हर तीसरे दिन अपने हस्ताक्षर के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपना पड़ता है।

७. प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने प्रचार खर्च और आमदनी के बारे में एक पत्रक रखना पड़ता है। उसे उम्मीदवार पर किये गए खर्च का हिसाब भी रखना पड़ता है।

८. चुनाव अधिकारी स्वतंत्र रूप से इस खर्च पत्रक की जांच करता है और चुनाव आयोग को सौंपता है। चुनाव आयोग उसका अवलोकन कर सकता है और उसके खिलाफ अपने एतराज व्यक्त कर सकता है।

मतदाता सूचियों में कमियां होने के कारण

२००२ और २००३ के दौरान चुनाव आयोग ने समग्र देश में मतदाता सूचियों को सुधारने के लिए कार्यवाही की थी। उस अवधि में चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों में जबर्दस्त त्रुटियां होने की शिकायतें मिली थी। मतदाता सूची में नाम डलवाने संबंधी दावों को गलत ढंग से नकारने की तथा दावों के खिलाफ गलत ढंग से एतराज करने की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच करवाई थी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई थी। जो कमियां नजर में आई थी, उन्हें दूर करने के लिए जरूरी सुझाव भी चुनाव आयोग ने जारी किये थे। किसी भी उत्तम, मुक्त व न्यायपरक मतदान की पूर्वशर्त यही है कि मतदाता तैयार करते समय सावधानी रखी जानी बहुत महत्त्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने मतदान सूची में सुधार के लिए कार्य प्रणालियां और मार्गदर्शक बिंदु भी तैयार किये हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग का मानना है कि मतदाता सूचियों में त्रुटियां रहने में मुख्य कारण निम्नानुसार है:

(१) प्राथमिक सूची ही त्रुटिपूर्ण हो। मुख्य सूची में पूरक सूचियों को उचित रूप से जोड़ा न गया हो। परिणामतः एक ही घर के तमाम सदस्यों के नाम एक ही स्थान पर एक साथ न छपे हों। मतदाता जिस विभाग या मतदान केन्द्र के हों, उसके बजाय दूसरे ही विभाग या मतदान केन्द्रों में उनके नाम छपे हों। इस कारण गणना करने वाले व्यक्ति का काम भी बहुत कठिन हो जाता है।

चुनाव प्रक्रिया सुधारने हेतु सुझाव

'राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी' विषय पर एक कार्यगोष्ठी जुलाई २००३ में जयपुर में आयोजित हुई थी। उसमें भारत के चुनाव आयुक्त सहित अग्रणी चुनाव अधिकारी और नागरिक समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वह कार्यगोष्ठी 'नेशनल कैम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फोर्मेशन' द्वारा तथा 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें चर्चा-परिचर्चा के दौरान और सिफारिशों के रूप में जो मुद्दे उपस्थित हुए थे वे निम्नानुसार है:

- मतदाता सूचियों को वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।
- चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खर्च पर अधिक सख्ती से नजर रखी जाए।
- राजनीतिक प्रक्रिया के अपराधीकरण के विरुद्ध अभियान चलाने वाले संगठनों और व्यक्तियों की रक्षा की गारंटी देना।
- पंचायत कार्यालय में मतदाता सूची की एक प्रति स्थाई रूप से उपल्बध रहे, ऐसी व्यवस्था करना।
- आदिवासी क्षेत्रों में बिखरे हुए निवास स्थान होते हैं, अतः उनके फोटो के साथ मतदाता पहचान पत्र देने पर विशष ध्यान देना चाहिए।
- लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों और पालिकाओं के तमाम चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए।
- उम्मीदवार जो शपथपत्र प्रस्तुत करते हैं उनके विवरणों का अध्ययन करने का लोगों को अवसर मिले, इस तरह की जनजागृति उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रदत्त सूचनाओं की जन समूहों के द्वारा छानबीन को प्रोत्साहन मिले।
- ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि चुनावी अर्जियों का एक निश्चित समय पर निपटारा हो जाए। इसके लिए चुनाव ट्रिब्युनल स्थापित किया जाना चाहिए। इसका इस तरह गठन किया जाए कि यह स्वतंत्र रूप से काम कर सके।
- जो सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन पर गंभीरता के साथ स्वतंत्र देखरेख होनी चाहिए ताकि वे किसी का पक्षपात न लें अथवा भ्रष्टाचार न करें।

(२) गणना करने वालों को या नाम का उल्लेख करने वालों की उचित प्रशिक्षण न दिया गया हो तो उनके काम से गुणात्मक कमी रहेगी ही।

(३) शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के नक्शे मतदाताओं के नाम लिखने वालों को दिये ही न गये हों। ऐसे में कहीं दो बार उल्लेख हो जाता है और कहीं उल्लेख ही नहीं होता।

(४) उल्लेख करने वालों के काम पर प्रभावी ढंग से देखरेख न की गई हो। अतः नीचे से ही गलत नाम दर्ज किये गए हों।

(५) कम्प्यूटर में सूचनाएं डालने वाले ऑपरेटर को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि जांची हुई प्रथम सूची, डाले गये नामों वाली सूची ओर रद्द किये गए नामों वाली सूची - तीनों सूचियों की सूचनाओं का उचित रूप से समन्वय हो जाए। यह प्रशिक्षण उनको नहीं दिया गया होगा।

(६) आपरेटरों को दी जाने वाली मूल सूचियों के साथ उनके द्वारा तैयार की गई सूचियों की तुलना न की गई हो। ऐसे में कई स्थानों पर ये मूल सूचियों मसौदे रूपी सूचियां बन गई। छपी हुई सूची में भी त्रुटियां रह गई हों, इसका यही कारण है।

(७) चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई मसौदे रूपी सूचियों के संबंध में जो दावे लोगों ने दर्ज कराये और जो एतराज उठाये गए, उनका उचित रूप से समाधान नहीं किया गया हो। कई मतदाता दर्ज करने वाले अधिकारियों ने दावों का या तो अंधाधुंध नकार डाला अथवा अंधाधुंध स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग के आदेशानुसार शिकायतों का समाधान नहीं किया गया।

मतदाता सूचियों को सुधारने के उपाय

चुनाव आयोग ने इस कमी को गंभीरता से लिया है और मतदाता सूचियां सुधारने के लिए अल्प अवधि व लंबी अवधि दोनों प्रकार के उपाय किये हैं। मतदाता सूचियों को भविष्य में सघनता से सुधारने के लिए मार्गदर्शक बिंदुओं और कार्य पद्धतियों में परिवर्तन करने की बात सोची है और लगता है नये मार्गदर्शक बिंदु अल्प समय में ही जारी किये जाने की संभावना है। देश में चुना प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में काम करने वाले विविध गैर-सरकारी संगठनों के सुझावों और अनुरोध के बाद चुनाव आयोग ने ऐसा

लोकसभा के उम्मीदवार को मतदाता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

१. क्या अपने अपने मतदाता मंडल की मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया है?

२. अपने मतदाता मंडल के साथ जन-सम्पर्क चालू रखते हुए समस्या के समाधान की आपने क्या व्यवस्था सोची है?

३. चुने जाने के बाद मतदाता क्षेत्र में सार्वजनिक कल्याण के लिए दो करोड़ रु. तक खर्च करने की व्यवस्था के बारे मे क्या आयोजन किया है?

४. गुजरात में स्थायी शांति बनी रहे तथा कौमी एकता को बढ़ाकर परस्पर सदभाव बढ़े, इस दिशा में आपने क्या योजना सोची है? कृपया उसके स्वरूप के बारे में प्रकाश डाले?

५. आप चुने जाएं तो मतदाता जागृति, कौमी एकता, शांति तथा आर्थिक उन्नति के बारे में आपकी क्या योजना है?

६. बिना किसी अवरोध या गैरजरूरी विघ्न के लोकसभा का काम चले, इसके लिए आपकी क्या योजना है?

७. भ्रष्टाचार की आमूल समाप्ति के लिए लोकपाल बिल के बारे में आप सक्रिय बनकर क्या जनता की आवाज को बुलंद करेंगे?

८. विधानसभा और लोकसभा में भ्रष्टाचारी एवं असामाजिक तत्त्वों को दूर रखने हेतु आवश्यक संवैधानिक संशोधन के बारे में क्या आप सक्रिय काम करेंगे?

९. लोकविरोधी अर्थनीति का विरोध करके अर्थतंत्र का व्यावहारिक बनाकर बेकारी निवारण हेतु आपके कार्य का स्वरूप क्या होगा?

१०. महिलाओं के विकास के लिए क्या आप सक्रिय होंगे?

स्रोतः ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

रास्ता निकाला है कि मतदाता सूचियां पंचायतों और पालिका के माध्यम से प्रकाशित किया जाए और अन्य उत्तरदायी संगठनों के माध्यम से वितरित की जाएं। संबंधित क्षेत्रों की मतदाता सूचियां पंचायतों और नगरपालिका की बैठकों में पढ़ी जाएं और उस समय ऐसी व्यवस्था की जाए कि सामान्य नागरिक भी उपस्थित हों। उसके आधार पर नये नाम दर्ज किये जायेंगे, अथवा नामों में सुधार किये जायेंगे। पंचायतों और पालिकाओं को मतदाता सूचियों की नकलें भी दी जाएंगी, ताकि सामान्य नागरिक उन्हें देख सकें। बाद में मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने में पंचायतों और पालिकाओं को साथ में लिया जाएगा। इसके लिए जो कार्यवाही अपनाई जाएगी वह निम्नानुसार हैः

(१) ग्राम सभा का मंत्री अर्थात् पटवारी ग्राम सभा या वार्ड सभा बुलाये। स्थानीय राजस्व अधिकारी को ऊपरी स्तर से इस सभा में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण भेजा जाए। इन राजस्व अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में फार्म्स दिये जाएं, जिनमें दावे और एतराज उस सभा में ही भरे जाएं। इन सभाओं में विशेष रूप से उन्हें निमंत्रित किया जाए जो ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़े थे, पर जो सफल नहीं हुए थे। इस सभा के बाद राजस्व अधिकारी दावों और एतराज संबंधी सभी अर्जियों की एक रिपोर्ट तत्काल तैयार करें और चुनाव अधिकारी को भेज दे।

(२) यदि एक ग्राम सभा में एक से अधिक गांव हो तो ऐसी ग्राम सभा प्रत्येक गांव में आमंत्रित की जाए और उसी गांव में उसी सभा में मतदाता सूची के विरुद्ध दावे और एतराज दर्ज किये जाएं। यदि एक गांव में एक से ज्यादा ढाणियां हों और वे दूर-दूर हों तो ऐसी ग्राम सभा प्रत्येक ढाणी में आयोजित की जाए। प्रत्येक वार्ड में वार्ड-सभा आयोजित की जाए और वहां मतदाता सूचियों की जांच हो, यह जरूरी है।

(३) इस सभा में जो सूचना मिले, उसके आधार पर लोक प्रतिनिधित्व कानून-१९५० के नियम २२ और २३ के अनुसार समाधान लाने का प्रयास किया जाए।

(४) शहरी क्षेत्रों के अलग अलग मंडलों, संस्थाओं या समितियों की सभाओं में मतदाता सूचियों की छानबीन की जाए और तब उनमें संशोधन करने की कार्यवाही हाथ में ली जाए। चुनाव घोषणा अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को सभा में उपस्थित रहने को कहे और जरूरी फार्म्स भरवायें यह जरूरी है। उसका वितरण चुनाव अधिकारी को फार्म्स के साथ भेज दे, यह जरूरी है।

चुनाव पर देखरेख

पिछले कई वर्षों से देश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन चुनाव पर देखरेख रखने का काम करते हैं। 'एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स' (ए.डी.आर.) अहमदाबाद द्वारा लोकसभा के २००४ के चुनाव के संदर्भ में एक गुजरात इलेक्शन वाच कमेटी बनाई गई थी। इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों, के बारें में जानकारी परक एक विवरण प्रकाशित किया था। उसमें अदालत में पड़े केसों वाले उम्मीदवारों, अधिक सम्पत्ति वाले उम्मीदवारों, संपतिविहीन वाले उम्मीदवारों, अधिक आर्थिक दायित्व वाले उम्मीदवारों, आय-कर का स्थायी खाता नंबर (पैन) न रखने वाले उम्मीदवारों, शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले उम्मीदवारों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी।

इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में ब्यौरेवार सूचनाएं भी दी गई थी। उसमें उम्मीदवारों के बारे में सूचनाएं जानने का मतदाताओं का अधिकार क्या है और भारतीय दंड संहिता की व्यवस्थाएं क्या हैं, इसकी समझ प्रदान करने वाला विवरण भी दिया गया था।

इस प्रकार का आयोजन देश के अन्य पंद्रह राज्यों में किया गया था। मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसकी पुष्टि के गंभीर प्रयास के रूप में और मतदाताओं को मत देते समय सूचना परक विकल्प मिले, इस उद्देश्य से यह मूल्यांकन किया गया था। मतदाता पूरी बात जानने के बाद प्राप्त विकल्पों में से चुनाव करे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और राजनीति तथा राजनीतिज्ञ दोनों की गुणवत्ता में सुधार होगा, यह स्पष्ट है।

उपसंहार

देश के चार राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान में दिसंबर २००३ में विधान सभा के चुनाव हुए थे, उससे लगभग चार माह पहले चुनाव आयोग के सचिव ने ये मार्गदर्शक बिंदु जारी किये थे। ये मार्गदर्शक बिंदु अत्यंत उपयोगी हैं।

मतदाता सूचियां बहुत विवादास्पद हो जाती हैं और उससे चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर से बहुधा विश्वास उठ जाता है, ऐसा सवाल उत्पन्न होता है। यदि ग्राम सभा, वार्ड सभा और ढाणी या मोहल्ला सभा में मतदाता सूचियों की छानबीन हो तो यह एक सार्वजनिक अन्वेषण का रूप धारण करता है और उससे चुनाव सुधार की प्रक्रिया में लोगों को ऐसा लगता है कि वे स्वयं उसमें शामिल है। ऐसा होने से मतदाता सूचियों में जो भी विकृतियां होती हैं वे सब दूर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतदाता सूचियों की इस तरह जांच पड़ताल में कई व्यावहारिक मुश्किलें भी हैं। एक मुश्किल यह है कि मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र के अनुसार तैयार होती हैं, पंचायतवार या रिहायशी इलाके के अनुसार तैयार नहीं होती। फिर, इस तरह की कार्यवाही करने के लिए अत्यधिक मानव-शक्ति की जरूरत पड़ती है।

परंतु इसके बावजूद मतदाता सूची की सार्वजनिक जांच (पब्लिक ऑडिट) हो, यह अपेक्षित है। एक बात यह ध्यान में रखने की है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में बहुत बार होती है। हर बार किसका नाम मतदाता सूची में रद्द करना और किसका रद्द नहीं करना - यह काम ग्राम सभा कर सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की सूची को अंतिम रूप देने और उसमें संशोधन परिवर्धन का काम ग्राम सभा कर सकती है तो मतदाता सूची में संशोधन परिवर्धन सूचित करने का काम भी ग्राम सभा कर सकती है। मतदाता सूचियां व्यवस्थित हों, यह सबसे बड़ी चुनौती है। अतः ये यथा संभव तेज़ी से ठीक हों, यह आवश्यक है। अगर मतदाता सूचियां व्यवस्थित होंगी तो अपने आप चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध बनाने का एक मार्ग खुल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।

विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारी

देश के विभिन्न भागों को समय-समय पर अलग-अलग प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, अतः विपत्तियों का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी जरूरी है। **श्री अरविंद कुमार सिन्हा** ने इसका विशद विवेचन किया है कि विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारी कैसे करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए ऐसी तैयारी के मूल तत्व समझाने की कोशिश की है। स्थानीय स्तर की योजना में लोगों को सहभागी बनाया जाये तो वह अधिक कार्यक्षम सिद्ध होता है, इसकी प्रभावी प्रस्तुति इस लेख में की गई है।

विपत्ति क्या है?

विपत्ति में समाज के कार्यों का गंभीर रूप से विघटन होता है जिससे इतनी व्यापक मानवीय, भौतिक व पर्यावरणीय हानि पहुंचती है कि प्रभावित समाज अपने संसाधनों के बल पर उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो विपत्ति को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है कि जो मानव जीवन को बहुत क्षति पहुँचाती है, समुदाय के मकानों, फसलों व अन्य इकाइयों को नष्ट कर देती है। मनुष्य के द्वारा सृजित विपत्तियों के कारण भी व्यापक स्तर पर मौतें होती हैं, प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं और तबाही मच जाती है। अथवा इसे ऐसी विनाश लीला कहा जा सकता है कि जो समाज को बहुत बड़े परिमाण में अराजकता और असहायता की तरफ धकेल देती है।

जब किसी मानव सृजित या प्राकृतिक प्रवृत्ति से व्यापक स्तर पर उत्पादन के साधन, मनुष्य, पशु, पर्यावरण तथा सामान्य जनों की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, तो वह विपत्ति कहलाती है। विपत्ति का आगमन एक प्राकृतिक नियम है और वह समय-समय पर आती रहती है, परंतु सभी विपत्तियों से भारी नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता है परिस्थितियों के कारण, लाचारी भरी परिस्थिति ही नुकसान पहुंचाती है। यहां परिस्थिति का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य परिस्थिति जो विपत्ति को अधिक हानिप्रद बनाती है। विपत्तियों के कारण हमारे वर्षों से इकट्ठे किए हुए संसाधन और विविध व्यवस्थाएं क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं और उनका पुनर्स्थापन हमारे लिए अत्यंत दुष्कर कार्य बन जाता है। जो मनुष्य हमारे बीच से चले जाते हैं, वे वापिस कभी नहीं आते। आज समग्र विश्व में लोग विपत्तियों का सामना कर रहे हैं और वे रोजाना ही नुकसान झेल रहे हैं। किसी भी विपत्ति में बालकों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों, गरीबों आदि पर विपरीत असर पड़ता है। भारत में विपत्ति के निवारण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने गहन अध्ययन के बाद ३१ तरह की विपत्तियां बताई हैं। इन तमाम विपत्तियों का इन पांच विषयों के साथ संबंध है:

१. पानी और ऋतु से संबधित विपत्तियां
२. भूगर्भ से संबधित विपत्तियां
३. जीव विज्ञान से संबधित विपत्तियां
४. रासायनिक, औद्योगिक एवं आणविक विपत्तियां
५. दुर्घटनाओं से संबधित विपत्तियां

विपत्तियां को घटाने के बारे में जागृति

क्षेत्र की दृष्टि से विपत्तियां अलग-अलग तरह की होती हैं और उनकी तीव्रता भी अलग-अलग प्रकार की होती है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपत्तियों के प्रभाव को कम करने हेतु प्रयास जारी हैं। बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जाग्रत करने के लिए और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां व कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उनकी गंभीरता और व्यापकता समझने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयास हुए हैं। वे प्रयास इस प्रकार हैं:

१. १९९० से १९९९ के मध्य अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक विपत्ति घटाव दशक मनाया गया था।
२. २००० से २००५ का दशक राष्ट्रीय विपत्ति घटाव-दशक के रूप में घोषित किया गया।
३. २००० से २००३ के मध्य विपत्ति घटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

कुल्लू में बादल फटाः एक अनुभव

हिमालय का अंचल अपने विशिष्ट विरसात के लिए विश्व विख्यात है। यह क्षेत्र दुर्गम है, फिर भी विश्व के कोने-कोने से लोग वहां आते हैं। तकनीकी विकास और मनुष्य की बुद्धिमत्ता के कारण अब आज हिमालय पहले जितना जितना दुर्गम नहीं रह गया। लोग लगभग सभी क्षेत्रों में पहुंच गए हैं और हिमालय के नाजुक पर्यावरण के साथ भयंकर छेड़-छाड़ होने लगी है। परिणामतः हिमालयी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की विपत्तियां आ पड़ी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बादल का फाटना एक आश्चर्यजनक घटना है। लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि 'क्या वर्षा इतनी तबाही कर सकती है?' परंतु ऐसी घटनाएं घटती हैं और लोग इसके गवाह हैं।

हिमाचल प्रदेश का कुल्लू अंचल विगत अनेक वर्षों से बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। इस तरह की विपत्तियों से भारी नुकसान हुआ है और लोग उसे दैवी प्रकोप मानते हैं। १६.७.२००३ को रात २.३० बजे बादल फटने की घटना फिर घटी। उसमें नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन की विद्युत परियोजना में काम करने वाले १५० मजदूरों के बह जाने की आशंका के समाचार मीडिया में व्यक्त हुए थे। राज्य सरकार ने भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा दल की मदद से बचाव और राहत कार्य शुरू किया था। बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत से शव हाथ नहीं आ सके। राज्य सरकार ने राहत शिविर में कबंल, खाने की चीजों, बर्तनों, दवाओं, आदि का वितरण तेज़ गति से किया। मुझे वहां जाने का अवसर मिला था। 'कासा' संस्था ने भी मजदूरों को राहत सामग्री के रूप में कपड़े, बर्तन, कंबल दिये थे।

राहत कार्य हेतु हमें वहां जाने का अवसर मिला था। उस समय प्रभावित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला था। लोगों ने कहा कि यदि एन.एच.पी.सी. की परियोजना यहां नहीं होती तो बादल फटना क्या होता है, इसका इस कुल्लू अंचल में पता भी नहीं चलता। कुल्लू क्षेत्र अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है और वहां आसपास कोई आबादी भी नहीं। कुल्लू पर्वत का ऊपरी क्षेत्र देवदार के वृक्षों से आच्छादित है, जिसके कारण वहां का दृश्य अत्यंत मनोरम लगता है। इसके सामने एक बहुत छोटी गडसा नदी बहती है। उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। उसका प्रारंभ एक छोटे झरने से होता है। इस नदी के किनारे देश के अलग-अलग प्रदेशों से आए मजदूर रहते हैं। वहाँ उनका आवास कामचलाऊ होता है। उनमें से कई तो सपरिवार वहाँ रहते हैं। वहां दूसरी कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए रहने के लिए वही एक जगह थी।

आंखों से देखने वालों का अनुभव

१६.७.२००३ को जब वे रात को गहरी नींद में थे, तब किसी को पता न था कि वे वह उनके जीवन की अंतिम रात होगी। आधी रात में अचानक भयानक आवाज हुई और लोग कुछ सोचें, समझे कि उससे पहले ही वे खुद और उनका सामान तेज रफ्तार से पानी में बहने लगा। जिनको कुछ पकड़ने के लिए मिल गया, वे किनारे जा लगे और बच गए। कई लोग एकदम पहाड़ की तरफ बहने लगे और उन पर मिट्टी, पत्थर, पेड़ और अन्य चीजें भी बह आई, जिनकी वजह से कई लोग बच गए। सरकारी तंत्र को पता लगते ही वे वहां पहुंचे और वे कई लोगों को बचा सके। हिमाचल प्रदेश में ग्राम स्तर पर संचार व्यवस्था बढ़िया होने से खबर तत्काल मिल जाती है। उसमें स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की और पंचायत सदस्यों ने राहत की वस्तुओं के वितरण में भी मदद की और राहत कार्य का संचालन संभाला। वहां राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं ने पहुंचकर सम्पर्क किया और उस अवधि में पंचायत की महिला सदस्याओं ने ब्यौरेवार बात बताई। इस विपत्ति के बाद राज्य सरकार ने तत्काल निम्न कदम उठायेः (१) अलग-अलग राज्यों से आये मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य किया। (२) उनके लिए पहचान पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई। (३) मजदूर कानून का सख्ती से अमल किया जाएगा। (४) परियोजना में काम करने वाले मजदूरों के सम्बंध में सम्पूर्ण विवरण रखा जाए।

सबक

• विपत्ति आने पर असहाय स्थिति उत्पन्न होने से ज्यादा नुकसान होता है। • संचार व्यवस्था कार्यक्षम होने से प्रभावी रूप से काम किया जा सकता है। • बृहद् परियोजना के आयोजन दौरान उसमें आपदा संचालन का समावेश होना चाहिए। • खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का अनिवार्यतः बीमा कराया जाए। • स्थानीय समुदाय और इकाइयों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर से तत्काल राहत सामग्री आनी मुश्किल होती है। • चेतावनी और आसन्न खतरे दर्शाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

व्यूहरचना तैयार की गई।

४. प्रति वर्ष विश्व विपत्ति घटाव दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को यह मनाया जाता है। इसके लिए कोई विषय भी दिया जाता है और नारा भी दिया जाता है।

विपत्ति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठन, संस्थाएं, शोध, संस्थाएं तथा जागरूक सभ्य समाज वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक प्रयास करते हैं। विपत्ति के प्रभाव को न्यूनतम करने की इस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की तैयारी अत्यंत महत्व रखती है। इसका कारण यह है कि किसी भी विपत्ति में विपत्ति आने के शुरूआती घंटे में कोई बाहरी मदद स्थानीय स्तर तक नहीं पहुंच सकती अतः वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। परंतु इसी अवधि के दौरान बहुत से जान-माल की रक्षा की जा सकती है और उन्हें बचाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर ऐसी योजना बने, अथवा जागृति फैले, ताकि विपत्ति से होने वाला नुकसान कम से कम हो।

स्थानीय स्तर की योजना

स्थानीय स्तर पर योजना बनाने में स्थानीय अंचल को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए:

(१) संबंधित क्षेत्र की विपत्ति विषयक असहायता की पहचान करना और उसके आधार पर जोखिम को मापना।

(२) समुदाय के स्तर पर सामाजिक व भौतिक नक्शा तैयार करना और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा सामुदायिक स्तर पर प्रत्येक की जिम्मेदारी स्पष्ट करना।

(३) विपत्ति संबंधी जागरूकता, सामुदायिक शिक्षण और प्रशिक्षण।

(४) संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोष एकत्रित करना।

(५) संकट के समय में विविध सुविधाएं एकत्रित करना।

(६) प्रभावी संचार व्यवस्था लागू करना।

(७) तात्कालिक राहत संबंधी योजना बनाना।

(८) किये गए कार्यों का दस्तावेजीकरण करना।

विपत्तियों के संदर्भ में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (वर्ल्ड हैल्थ ओर्गेनाईजेशन - डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा भारत को विश्व में चौथे स्थान पर सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है, ऐसे समय में ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपदा संचालन के तीन मुख्य भाग हैं:

(१) विपत्ति से पूर्वः विपत्ति का प्रभाव कम करने संबंधी प्रयास।

(२) विपत्ति के मध्यः राहत और बचाव कार्य।

(३) विपत्ति के बादः पुनर्वास और लंबी अवधि हेतु विपत्ति का मुकाबला करने की तैयारी। यहां एक बात याद रखने की है और वह यह कि कई विपत्तियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें सर्वग्राही योजना और लंबी अवधि की योजना द्वारा रोका जा सकता है। जबकि कई विपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता।

उपर्युक्त संदर्भ के साथ समुदाय के स्तर पर विपत्ति का सामना करने की तैयारी के लिए कौनसे संगठन स्थानीय स्तर पर हाजिर हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। अभी स्थानीय स्तर पर दो प्रकार के संगठन अस्तित्व में हैं:

(१) पंचायती राज संस्थाएं: इन संस्थाओं को संवैधानिक विधि से सत्ता सौपी गई है और ये स्थानीय विकास के लिए जन-सहभागिता से योजनायें बना सकती हैं।

(२) ग्राम स्तर के अन्य समूहः महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं-सहायता समूह, किसान मंडल, क्लब आदि। ये संगठन स्थानीय जरूरतों के अनुसार गठित होते हैं।

इन संगठनों को साथ लेकर समूह - आधारित आपदा निवारण योजना बनाई जा सकती है। ऐसी सक्षम योजना बनाने के लिए विपत्ति पूर्व की तैयारियों, उनको रोकने संबंधी तैयारियों, उनसे बचाव आदि का समावेश हो। वे स्थानीय संसाधनों और कौशलों के अनुसार बनाई जाएं और स्वामित्व समुदाय के पास ही हो। ऐसी योजना बनाने की प्रक्रिया में निम्न बातों का समावेश होना चाहिए:

(१) समुदाय के स्तर पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना और समझना।

(२) एक अभियान चलाना कि जिससे लोग अपने क्षेत्र की विपत्तियों के बारे में संवेदनशील बनें और उसके मुकाबले के लिए वे तैयार हों।

(३) लघुतम स्तर पर जरूरी आंकड़े एकत्र किये जाएं।

(४) कठिन परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए।
(५) समुदाय के स्तर पर एक 'विपत्ति-निवारण-दल' का गठन किया जाए।
(६) विपत्ति के प्रत्युत्तर हेतु एक विशेष योजना गठित की जाए।
(७) 'विपत्ति निवारण दल' के सदस्यों का प्रशिक्षण किया जाए और योजना के क्रियान्वयन के लिए अध्ययन किया जाए।

इस संदर्भ में आपदा संचालन की स्थानीय योजना के संबंध में कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

(१) समुदाय की परंपरा का अध्ययन किया जाए और उसमें विद्यमान समुदाय आधारित स्थानीय व्यवस्था को समझा जाए।
(२) सबसे ज्यादा और सबसे पहले जिन्हें नुकसान पहुंचता हो, ऐसे व्यक्तियों को पहचानना और यह देखना कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। विशेष रूप से बालक, वृद्ध, सगर्भा स्त्रियां, विकलांग आदि को बचाने की कोशिश इस योजना का भाग बननी चाहिए।
(३) इसमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिया गया।
(४) समुदाय के सक्रिय लोग हाजिर रहें और उनका प्रशिक्षण हो।
(५) ग्राम स्तर पर संवेदनशीलता उत्पन्न हो और जागृति के लिए अभियान हाथ में लिया जाए।
(६) ग्राम आपदा संचालन समिति का गठन हो।

गांव के संसाधनों का नक्शा तैयार किया जाए, इसका दस्तावेजीकरण हो और उसका वितरण हो।

ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर भी इसी प्रकार की तैयारी हो तथा उनके प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो। कम संवेदनशीलता कई बार भ्रामक होती है। जिन लोगों को पूर्व में विपत्ति का सामना करने का अनुभव है, ऐसे लोगों को सक्रिय करना चाहिए।

बचाव और राहत कार्य तथा अन्य बातें

कोई भी विपत्ति जब आती है तो सभी तरह की बरबादी का खतरा रहता है और लोग बहुत डर जाते हैं। व्यक्ति खुद अपने बचाव में लग जाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में बहुत धीरज रखना आवश्यक है। ऐसे में विपत्ति आने पर बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। बचाव के संबंध में तीन बातें महत्त्व की हैं:

(१) विपत्ति से पूर्वः इसमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम, संसाधन एकत्र करने का काम तथा उनका समुचित संचालन करने का काम समाविष्ट है। यह सब योजनाबद्ध रूप से हो यह जरूरी है।

(२) विपत्ति के मध्यः विपत्ति के समय बचाव कार्य मुख्यतया स्थानीय सत्ताधिकारी करते हैं, सेना की मदद भी ली जाती है और विशेषज्ञों को भी उसमें मदद ली जाती है।

(३) विपत्ति के बादः खाद्य सामग्री की स्थानीय स्तर व्यवस्था की जाती है अथवा वह विमान द्वारा फेंकी जाती है। संसाधन अत्यंत तीव्र गति से एकत्र किये जाते हैं। राहत कार्य के संबंध में इन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है:
(१) उचित लोगों की पहचान।
(२) स्थानीय स्तर पर उचित समन्वय।
(३) कामचलाऊ आवास पर लोगों को एकत्र करना।
(४) संकट के समय सेवा - सुश्रूषा की व्यवस्था।
(५) संचार तथा बिजली की व्यवस्था शुरू करना।
(६) कचरे व कबाड़ को दूर हटाना और विपत्ति के स्थान की सफाई करना। इसके अलावा पुनर्स्थापन भी इस संदर्भ में योजना का भाग बनता है। इसमें अनेक लोगों की मदद ली जा सकती है। इसमें खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था करना और राहत के रूप में दी जाने वाली नकद रकम के वितरण का भी समावेश है। पुनर्वास में समुदाय को बहुत सारी व्यवस्था में लगने और आर्थिक व सामाजिक ढांचे को स्थायी बनाने का समावेश है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। इसकी योजना बनाई जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए तो असहायता के कम होने की संभावना रहती है।

बाल संसद

अहमदाबाद में बालकों को लोकतंत्र की शिक्षा देने और उसके द्वारा उनमें और समाज में बालकों की समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संसद तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की बनी होती है। बालकों की संसद इस दृष्टि से एक अप्रतिम घटना बन गई। उसका संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है।

प्रस्तावना

गुजरात की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि बालक अपने समाज के साथ, स्वयं अपनी समस्याओं के साथ तथा शासन व्यवस्था के साथ संबंध जोड़े। इस उभरती हुई पीढ़ी को स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में, उनके अपने अधिकारों के बारे में समझ विकसित करने और सरकार उसे किस तरह संभाले, इसकी समझ विकसित करने का एक अवसर प्रदान करने की जरूरत है। इसे हासिल करने के लिए 'बाल संसद' का सुझाव दिया गया था। बाल-संसद संसद का सदन है, जिसमें बालक ही हैं। वह बालकों की है, बालकों के द्वारा है और बालकों के लिए है। बालक संसद की बैठक चलायें, और यह 'बाल-संसद' अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समझी जाए ताकि यह बड़े सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत कर सके।

बाल संसद का आयोजन करना काम करते-करते सीखने की पद्धति है। यह बालकों को शासन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का महत्व यह है कि बालक अपने अधिकारों के बारे में और निर्णय प्रक्रिया के बारे में जानें और इसे वे सामूहिक सहभागिता से जानें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयत्न है। इस तरह उनकी पढ़ाई का कौशल, आत्म गौरव और विश्वास बढ़ता है। बालकों की जो कुछ जरूरतें हैं, उन्हें तय करने में बालकों को स्वतंत्रता देने की यह एक महत्वपूर्ण पद्धति है। यह बालकों को परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने का और आयोजन करने का, समाधान खोज निकालने का और स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का अवसर प्रदान करती है।

बाल-संसद का विचार नया नहीं है। राजस्थान में १९७२ में तिलोनिया में इसकी शुरूआत हुई थी। रात्रि शाला के बालक शाला की प्रवृत्तियां चलायें, इसके लिए उन्हें अवसर प्रदान करने से इसकी शुरूआत हुई। इस अभिनव पद्धति ने बालकों को अपनी शाला चलाने के लिए सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए और समुदाय की समस्याएं हल करने अवसर दिया था। बालकों को समाज में समान सदस्यता का पद और सहभागिता का हक प्राप्त हो इसके लिए यह प्रयास था यह। तिलोनिया का अनुभव बहुत सफल रहा और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रसिद्धि मिली थी।

बालकों को चुनाव प्रक्रिया का सही सही ज्ञान हो, इसके लिए उम्मीदवारों, अभियान और मतदान को उचित प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक वर्ग में से विद्यार्थी अपने सदस्यों को चुनें और उनकी बाल सभा बने, समर्थन देने की जुंबिश में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना चुनाव निशान पसंद करना, पोस्टर्स तैयार करने, घोषणा-पत्र तैयार करना और मतदान करने के लिए भाषण देना होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। यदि समय की सीमा हो तो इस तरह बालकों का चुनाव होने के बजाए प्रत्येक शाला में से दो विद्यार्थी चुने जाएं। बालकों में लड़कियां भी हों और सभी धर्मों व जातियों के बालक हों। फिर ये सांसद उम्मीदवारी, अभियान और मतदान द्वारा अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान मंत्री और १० मंत्री चुन लें।

इसका उद्देश्य देश की राजनीति व्यवस्था के बारे में बालकों में जागरूकता लाना है ताकि वे प्रजातंत्र में भागीदार हों, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनें। अलग-अलग शाला के

बालकों में से संसद का गठन करना इसकी पद्धति है।

चयन का मापदंड

(१) १० से १८ की उम्र के बालक।

(२) नियमित रूप से शाला जाने वाले बालक।

(३) समाज के सभी वर्गों और समूहों के प्रतिनिधि हों। सभी धर्मो, जातियों और सामाजिक दृष्टि से विविध प्रकार का दर्जा धारण करने वाले समूहों का तथा लड़कों-लड़कियों का प्रतिनिधित्व हो।

चुनाव की प्रक्रिया

चुनाव करने में लंबी प्रक्रिया काम में ली जाती है। अतः शिक्षक अपनी शाला में से दो-दो बालकों के चुनाव करें। उनमें संसद के लिए जरूरी कौशलों का ध्यान रखा जाए।

बाल संसद का ढांचा और उनके कार्य

१. प्रधान मंत्री और संसद के अध्यक्ष का चुनाव सदस्य करें। मंत्री हों, प्रत्येक को कोई विभाग दिया जाए, विरोधी पक्ष शासक दल के कार्यों पर नजर रखें।

२. प्रत्येक मंत्री के कार्य विभाग के अनुसार विस्तार से तय किये जाएं।

३. सदस्य, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और विरोधी पक्ष के लिए सामान्य आचार संहिता लागू हो।

४. संसद सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएं।

बाल संसद का कार्यक्रम

बाल संसद का कार्यक्रम अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ में ३० दिसम्बर २००३ को आयोजित हुआ था। उसमें अहमदाबाद के कौमी तनावग्रस्त क्षेत्रों की २४ म्युनिसिपल शालाओं के १८७ छात्रों ने भाग लिया था। अहमदाबाद के 'कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मंडल' (के. एस.एस.एम.) द्वारा अन्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें 'केयर', 'टीचर्स फॉर चिल्ड्रन', 'चेतना', 'मारग', 'चाइल्डलाइन', 'जीवनतीर्थ', 'स्नेह प्रयास' और 'जनपथ' आदि का सक्रिय सहयोग मिला था।

बाल संसद के लिए ऐसे संभावित विषय तय किये गए थे, जिन्हें वे चर्चा के लिए उठा सकें। हालांकि, यह थोड़ा ऊपर से नीचे का अभिगम है। मुद्दे और सवाल इस प्रकार हैं:

(१) विपत्ति और बालक

(२) प्राथमिक शिक्षा

(३) बाल स्वास्थ्य

(४) बाल मजदूरी

(५) बाल अधिकार

१. शर्तरहित प्रेम व स्नेह का अधिकार

२. स्वास्थ्य विकास का अधिकार

३. सम्पूर्ण व कार्यगत परिवार का आधार

४. शिक्षण का अधिकार

५. सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार

६. मनोरंजन, मनोविनोद आदि प्रवृत्तियों का अधिकार

इस प्रक्रिया को नीचे से ऊपर की अभिगम वाली बनाने के लिए समुदाय में बालकों के साथ ३ विषयों पर समूह चर्चाएं रखी गई थी। इन समस्याओं के बारे में ही उन्होंने संसद में बात की थी।

संसद की कार्यवाही किस तरह चले, इस बारे में शालाओं में सामूहिक रिहर्सल की गई। शालाओं ने इस काम के लिए एक घंटा आवंटित किया था। परिणामतः बालकों में संसद के प्रति थोड़ी समझ पैदा हुई थी। जब संसद मिली थी, तब बालकों ने अलग-अलग भूमिकाएं धारण की थी। गुजरात की विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. मंगलदास पटेल ने बाल-संसद कार्यक्रम का उद्‌घाटन किया।

इसमें अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री केशवकुमार, गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक प्रो. अरुण दवे, अहदाबाद महानगरपालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जयंतीभाई परमार आदि हाजिर रहे थे। बालकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विरोधी दल के नेता इत्यादि प्रतिनिधियों की भूमिका अदा की थी। मंत्रियों, सदस्यों तथा अध्यक्ष के रूप में भी बालकों ने भूमिका अदा की थी।

बालकों ने अपनी प्रस्तुति, चर्चा व भाषणों में जो विषय तय किये गए थे, उन्हें लेकर प्रभावी विचार व्यक्त किये थे। यह चर्चा निम्नानुसार रही थीः

(१) शिक्षण

बालकों ने शालाओं, शिक्षकों, शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता संबंधी सवाल उठाये थे। विशेष रूप से अंतर्वर्ती क्षेत्रों के बालकों के शिक्षण संबंधी सवाल उठाये थे। कंप्यूटर की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, मर्यादित शैक्षणिक प्रवास, शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण की पद्धति आदि भी उनकी चिंता के विषय रहे थे।

(२) बाल मजदूरी

बाल मजदूरों की संख्या गुजरात में कितनी है और सरकार ने बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, इस बारे में विरोधी पक्ष ने अनेक सवाल पूछे थे। इस बारे में चर्चा बहुत गरमा-गरम रही थी। काम करने वाले कई बालकों ने एक स्किट (व्यंगिका) भी प्रस्तुत किया था।

(३) स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के संबंध में बालकों ने जो सवाल उठाये वे न केवल प्रासंगिक थे वरन् समग्र समुदाय के साथ संबंधित थे। सफाई और पोषण के मुद्दे पर उन्होंने बुनियादी सवाल खड़े किये थे। ऐसा मुद्दा भी सामने आया कि शालाओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने का उत्तरदायित्व संभालना चाहिए। पोषण-परक मुद्दे पर भी एक स्किट प्रस्तुत किया गया था।

(४) विपत्ति

पहले भूकंप और फिर कौमी दंगों का स्वयं अनुभव करने वाले इन बालकों ने इस बारे में आधारभूत प्रश्न खड़े किये थे। उन्होंने इस संबंध में गंभीर मुद्दे उपस्थित करके बालकों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था स्थापित करने की मांग की थी।

बाल संसद के बाद के कार्य

बाल संसद की समाप्ति के बाद का काम भी बाल संसद के जितना ही महत्वपूर्ण है। यह काम 'कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' के द्वारा उल्लासपूर्वक पूरा किया गया। ये कार्य इस प्रकार हैंः

(१) पोस्टर स्पर्धा

बाल संसद की तैयारी के रूप में यह स्पर्धा आयोजित की गई थी। बालकों से उनके इलाके में फिर से अन्य बालकों की स्थिति समझने को कहा गया था, और उसके विषय में ही सहभागी बालकों की एक पोस्टर स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें सभी बालकों ने भाग लिया था। बाल मजदूरी, विपत्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे। इन पोस्टर्स में

बालकों ने अपने जीवन में पेश आने वाली समस्याओं का निदर्शन किया था। इस तरह उन्हें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला था। इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और विजेता बालकों को पुरस्कार भी दिये गए थे।

(२) राज्यपाल के साथ मुलाकात

बाल संसद में भाग लेने वाले बालकों की गुजरात राज्य के राज्यपाल के साथ उनके निमंत्रण पर एक मुलाकात आयोजित की गई थी। बालकों ने उनके निवासस्थान पर सांस्कृतिक कार्य प्रस्तुत किया था और भाषण भी दिये थे। शालाओं ने यह कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्साहपूर्वक दायित्व वहन किया था। बालकों के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही यादगार रहा था क्योंकि वे राज्य के मुखिया से मिलकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने वाले थे।

(३) चुनाव के उम्मीदवारों के साथ बातचीत

बालक मतदाता नहीं हैं इस लिए उम्मीदवार उनके पास नहीं आते। परंतु बाल संसद में भाग लेने वाले बालकों ने अपनी चुनावी घोषणा तैयार की और अपनी समस्याओं के बारे में नेताओं से प्रश्न पूछे। १६ अप्रैल २००४ को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामान्यतया राजनीतिक दल बालकों की समस्याओं का समावेश अपने चुनावी घोषणा-पत्र में नहीं करते। लोकसभा का यह कार्यक्रम अत्यंत रसप्रद रहा। संसद के चुनावों में उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू किया, तभी से बालकों ने उन पर ध्यान देने और अपनी समस्याओं की उनके समक्ष प्रस्तुति की तैयारियां की थी। ये तैयारियां उन्हें अपने चुनाव - घोषणा पत्र तैयार करने में काम आई। उल्लेखनीय बात यह थी कि इस समग्र प्रक्रिया के दौरान शाला के शिक्षकों ने बालकों की सहायता की थी।

पृष्ठ 12 का शेष भाग

क्या होना चाहिए?

सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जिस तरह की योजनाएं अभी हैं, उनका जिस रूप में अमल हो रहा हे, देश के विशाल असंगठित क्षेत्र की जो जरूरतें हैं और गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा जिस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उनके अनुभवों के आधार पर क्या करने की जरूरत है, यह सोचने की बात है। इस संदर्भ में कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

(१) किन तक?

सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बहुसंख्यक कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए या जो असंगठित क्षेत्र में हैं और साथ ही जो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(२) आवरण

आवरण को मात्र संख्या की दृष्टि से ही नहीं वरन् खतरों की दृष्टि से सोचने-विचारने की जरूरत है। गरीब लोग किसी एक तरह के खतरे का सामना नहीं करते, वरन अनेक प्रकार के खतरों का सामना करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि तमाम खतरों को समेटने वाली सर्वग्राही व समन्वित सामाजिक सुरक्षा योजना हो। उसमें बीमारी, मृत्यु, मातृत्व, बाल-संभाल, वैधव्य, दंगों-बाढ़-अकाल-भूकंप आदि से नुकसान आदि सभी तरह के नुकसानों का समावेश हो, यह जरूरी है।

(३) कार्यवाही

सामाजिक-सुरक्षा की बीमा योजना में इतने लक्षण होने जरूरी हैं: विशेष रूप से वह गरीब-अनुकूल होनी चाहिए। उससे संबंधित कार्यवाही सरल, परिवर्तनशील, त्वरित एवं प्रासंगिक होनी चाहिए। उसमें लिखा-पढ़ी कम हो और अधिक विस्तार कार्य हो, ऐसा अपेक्षित है। साथ ही, उसमें विविध स्तर यथासंभव कम होने चाहिए।

(४) एकत्रित कोष

अलग-अलग क्षेत्रों में असंगठित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग योजना पर्याप्त-अपर्याप्त मात्रा मे चलती हैं। असंगठित क्षेत्र के तमाम कर्माचारियों हेतु सामाजिक सुरक्षा की लाभप्रद सर्वग्राही योजना चले और उसके वास्ते एक ही एकत्रित कोष हो, यह अपेक्षित है। इस कोष में कर्मचारी, मालिक व राज्य योगदान दे। इस एकत्रित कोष का प्रबंध यथासंभव विकेंद्रित रूप से किया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तीनों प्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इस तीनों के बचत व ऋण मंडल, लाभार्थी समूह, सहकारी मंडल व अन्य स्थानीय लोग संगठनों का उपयोग कर सकते हैं।

गतिविधियाँ

सम्पत्ति संबंधी पारिवारिक कानून में स्त्रियों के प्रति भेदभाव दूर करने के प्रयास

स्त्रियों की आजीविका के मुद्दे के रूप में और सशक्तिकरण के मुद्दे के रूप में स्त्रियों के नाम पर खेती की जमीन हो, यह महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के नाम पर जमीन हो, इस उद्देश्य से गुजरात की १७ स्वैच्छिक संस्थाओं ने मिल कर एक कार्यकारी समूह गठित किया है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

(१) स्त्रियों के नाम जमीन करने में कानूनी बाधाओं को दूर करने की गुजरात सरकार को शिफारिश करना।

(२) ऐसा अभियान छेड़ना जिससे मौजूदा कानूनों का उचित रूप से क्रियान्वयन करके स्त्रियों को जमीन का स्वामित्व मिले।

(३) स्त्रियों और जमीन के स्वामित्व के मुद्दे को विकास के क्षेत्र में महत्व दिलाने के लिए प्रयास करना।

हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों से संबंधित धाराओं की धारा १४ प्रत्येक व्यक्ति की समानता की रक्षा करती है और धारा १५ में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। 'स्त्री और जमीन के स्वामित्व' के मुद्दे पर कार्यकारी समूह की सदस्य स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के दो-दो गाँवों में स्त्री के नाम पर जमीन होने के आंकड़े क्या कहते हैं, इस संबंध में एक अध्ययन हाथ में लिया गया। इसके अनुसार स्त्री के नाम अधिक से अधिक जमीन ११ प्रतिशत तक है। स्त्रियों के नाम जमीन का स्वामित्व कम मात्रा में होने के दो कारण ध्यान में आए हैं: (१) सामाजिक मान्यताएँ और रिवाज (२) स्त्रियों हेतु पारिवारिक कानूनों में प्रवर्तमान लिंगभेद।

स्त्री के नाम हेतु कानूनी बदलाव की मांगें महत्वपूर्ण क्यों है? 'संयुक्त राष्ट्र' द्वारा १९४५ में स्त्रियों की स्थिति एवं अधिकारों के लिए समाधान आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी ३० वर्षों की लगातार मेहनत के परिणामस्वरूप यह समाधान हो सका था। इस समाधान आयोग का मुख्य काम है समाज की अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध जो भेदभाव किये जाते हैं उन्हें प्रकाशित करना। स्त्रियों के से तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्त्रियों के अधिकारों के बारे में जानकारी देने का मुख्य दस्तावेज है, जिसे 'सीडो' (सी.ई.डी.ओ.डब्ल्यू) के रूप में जाना जाता है। इस समाधान की धारा: २ के अनुसार राष्ट्रीय सरकारें स्त्रियों के प्रति भेदभावों का विरोध करती हैं। स्त्रियों के प्रति भेदभाव रोकने के लिए उचित कानून बनाये जाएं और उन्हें लागू किये जाएं, साथ ही जहाँ जरूरत है वहाँ प्रवर्तमान कानूनों में संशोधन की व्यवस्था की जाए और उनके क्रियान्वयन हेतु उचित उपयोग किया जाए। साथ ही देश के संविधान के अंतर्गत स्त्री-पुरुष की समानता के सिद्धांतों को साकार रूप प्रदान किया जाए तथा स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने हेतु प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जाए।

धारा:३ के अनुसार राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान अधिकार व मूलभूत स्वतंत्रता मिल सके और स्त्रियों का सम्पूर्ण विकास व प्रगति हो सके, इसके लिए नए कानून बनाने संबंधी तमाम कदम उठाना। धारा:१८ के अनुसार जमीन-जायदाद की जिम्मेदारी, व्यवस्था, उसके लाभ और उसे बेचने हेतु समान अधिकार दिया जाएं।

इसके बावजूद आजादी के ५७ वर्षों के बाद देश की ५० प्रतिशत आबादी अर्थात् स्त्रियों को संविधान की इस धारा का लाभ नहीं मिलता या स्त्रियों के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को दूर करने के समाधान का क्रियान्वयन नहीं हुआ। हमारे पारिवारिक कानून अब भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव जारी रखे हुए हैं, इसका सीधा प्रभाव स्त्री के भू-स्वामित्व पर पड़ता है।

कानूनी दृष्टि से सम्पत्ति के अधिकार से संबंधित भेदभाव को दूर करने का कार्य 'स्त्री और भूमि-स्वामित्व' का कार्यकारी समूह

करता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हिन्दू दत्तक धारा - १९८५ अपने संशोधन में पुत्री को हिस्सा देने की बात करती है। परंतु गुजरात जैसे विकसित राज्य में इस संबंध में अभी कोई पहल नहीं की। इसके लिए, इसके साथ पिता की सम्पत्ति में पुत्र की तरह पुत्रियों को भी समान अधिकार की दृष्टि से जो मांगे हैं, वे इस प्रकार हैं:

(१) संयुक्त हिन्दू परिवार में हिस्सेदार पुत्री जन्म से पुत्र की तरह उत्तरदायित्व का दावा करने के अधिकार का भी समावेश है। यहां पिता की सम्पत्ति सिर्फ पुत्रों को मिले, यह बात नहीं होनी चाहिए।

(२) पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति के विभाजन के समय बंटवारा इस तरह किया जाए कि पुत्र को जो मिल सकता हो, उतना भाग पुत्री को मिले।

(३) एक हिंदू स्त्री को सम्पत्ति के उत्तराधिकार का आधार मिलता है, वह उस पर समान हिस्से के स्वामित्व का अधिकार बेचने, दस्तावेजीकरण या वसीयत का भी रहे, ऐसा करना बहुत जरूरी है।

(४) समस्त सम्पत्ति का विभाजन करने से पहले व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का तीसरा भाग अपनी पत्नी और बालक के नाम तथा दो-तिहाई भाग अपने माता-पिता और दूसरे आश्रित लोगों के नाम रख देना चाहिए।

(५) पहले मरे पुत्र-पुत्री, जो सम्पत्ति के विभाजन के समय जीवित हों तो उन्हें मिलने वाला भाग पहले मरे पुत्र-पुत्री या उनकी संतान को यदि हों तो, उसके अनुसार दिया जाए, यह अपेक्षित है।

(६) दूसरे व्यक्तिगत कानूनों में सम्पत्ति के अधिकार से संबंधित प्रवर्तमान स्त्री-पुरुष भेदभावों को दूर करने के लिए सरकारों द्वारा उचित कदम लिये जाएं।

इन मांगों के दस्तावेज पर दस्तखत करने का एक अभियान चलाया गया है। इस समूह में लगभग १७ संस्थाएं सदस्य हैं।

'चरखा' द्वारा आयोजित लेखन स्पर्धा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

'चरखा' द्वारा २००३ के दौरान 'विकास परक कार्यों में स्थानीय स्तर की महिलाओं का नेतृत्व' विषय पर एक लेखन स्पर्धा आयोजित की गई थी। गुजरात की स्वैच्छिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य के अनुभवों के आधार पर महिला नेतृत्व के बारे में लिखकर भेजा था। इन कृतियों में से प्रथम पांच विजेता कृतियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम १३ मार्च २००४ को अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री सुमिता बहन घोष उपस्थित थीं। सुश्री सुमिता बहन 'चरखा' की शुरूआत से ही 'चरखा' के साथ घनिष्ठता से सम्बद्ध है और इस समय नयी दिल्ली में 'द हंगर प्रोजेक्ट' के साथ कार्यरत हैं।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अपने मुख्य भाषण में सुश्री सुमिताबहन ने 'चरखा गुजरात' द्वारा संगठनात्मक रूप से किये जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने ग्रामीण महिला नेत्रियों के साथ अपने उल्लेखनीय अनुभवों और महिलाओं की स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए। विकास के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाली स्थानीय स्तर की बहनों के बारे में व्यापक जन समुदाय को जानकारी प्रदान करने के 'चरखा' के प्रयासों की सराहना की थी।

तदुपरांत लेखन स्पर्धा के प्रथम पांच विजेताओं

को स्मृति चिह्न, पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पांच विजेता सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं:

(१) प्रथम - सुश्री वर्षाबहन व्यास (सावाराज, राजकोट)

(२) द्वितीय - श्री योगेशभाई दवे (ग्राम स्वराज संघ, कच्छ)

(३) तृतीय - सुश्री रीटाबहन चपला (उत्थान, भावनगर)

(४) चतुर्थ - श्री कीर्तिभाई पटेल (ए.के.आर.एस.पी.-आइ, सुरेन्द्रनगर)

(५) पंचम - सुश्री काश्मीरा संवट (स्वयं शिक्षा अभियान, अमरेली)

उपर्युक्त विजेताओं के साथ-साथ 'चरखा' को नियमित रूप से लेख लिख कर भेजने वाले अहमदाबाद की 'सेवा अकादमी' के तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मान किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं: (१) सुश्री बालु बहन मकवाणा (२) सुश्री वर्षा बहन दातणिया (३) सुश्री निर्मालाबहन पिल्लै।

लेखन स्पर्धा के निर्णायक के रूप में 'संदेश' के पत्रकार श्री अजयभाई रामी, गुजरात विद्यापीठ के समाजकार्य विभाग की प्राध्यापिका सुश्री आनंदीबहन पटेल तथा गुजरात युनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग की सुश्री सोनल बहन पंड्या ने स्पर्धा में आए तमाम लेखों को अत्यंत बारीकी व उत्साहपूर्वक जांचा था। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान सुश्री आनंदीबहन पटेल और सुश्री सोनल बहन पंड्या ने उपस्थित रहते हुए स्पर्धा में आये लेखों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। कार्यक्रम में 'चरखा' के ट्रस्टी ने उपस्थित रहते हुए प्रासंगिक उद्‌बोधन दिये। गुजरात के अलग-अलग जिलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों ने कार्यक्रम में सोत्साह भाग लिया था।

अवरोध मुक्त पर्यावरण का सृजन

विगत तीन माह के दौरान विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थान आसान बनें, इसके लिए 'उन्नति' द्वारा कई प्रयास किये गए थे। ये इस प्रकार हैं:

(१) अहमदाबाद में लॉ-गार्डन की चलने-फिरने के संदर्भ में जांच:

विकलांग लोगों को चलने-फिरने में सरलता हो और अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न हो, उसके लिए गतिविधि ने अब वेग पकड़ लिया है। हमेशा ऐसा लगता रहा है कि ऐसा विधायक उदाहरण जरूरी है कि सब को पता लगे, ताकि अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न हो और लोगों में जागृति तथा रुचि बढ़े। अहमदाबाद में लॉ गार्डन अत्यंत लोकप्रिय स्थल है। लोग बार-बार वहां जाते हैं। अतः उसकी स्थिति का पता लगाया गया। स्थपति श्री कमल मंगलदास और उनकी फर्म ने इस काम में सहयोग प्रदान किया था। इसमें, महानगरपालिका के पदाधिकारियों ने भी इसमें रुचि ली थी और जो भी बदलाव करने जरूरी थे, उनके बारे में उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की थी। दिनांक ९-१० जनवरी २००४ को यह खोज़ हाथ में ली गई थी और उसमें दिल्ली के हैंडिकेप इंटरनेशनल - सार्क के श्री डी.नंदा ने विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। 'उन्नति', 'अंधजन मंडल', और 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' द्वारा यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से हाथ में लिया गया था। सहभागियों में चलन-फिरने की सरलता हेतु संसाधन-समूह का समावेश था। यह समूह वास्ता रखने वाले नागरिकों, आयोजकों और विशेषज्ञों का है जो सार्वजनिक स्थानों को चलने-फिरने में और भी सरल-सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है। इसके अलावा, विकलांगों, आयोजकों और लॉ-गार्डन के स्थपति भी उसमें हाजिर थे। अहमदाबाद

महानगरपालिका की विशिष्ट धरोहरों, बगीचा व उद्यानों के जनरल मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ हाजिर थे, यह एक सकारात्मक संकेत था। दो दिनों में सघन अन्वेषण कराया गया था और रात के समय लाइट की व्यवस्था की भी जांच की गई थी।

(२) 'युनाईटेड वे ऑफ बडौदा' का वार्षिक मेला

दिनांक ३०.१.२००४ से १.२.२००४ तक 'युनाईटेड वे ऑफ बड़ौदा' ने अपना एक मेला आयोजित किया था। इस वर्ष के मेले का मुख्य विचार 'विकलांग लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनो' था और उसमें अवरोध मुक्त वातावरण निर्मित करने पर बल दिया गया था। वहां एक स्टाल लगाया था और उसमें जागृति उत्पन्न करने की सामग्री रखी गई थी।

मैसर्स करण ग्रोवर एसोसियेट्स द्वारा मेले की डिजाइन बनाई गई थी। मेले को भी अवरोधमुक्त पर्यावरण वाला बनाया गया था ताकि विकलांग लोग उसे आसानी से देख सकें। मेले में थोड़े-थोड़े समय पर मल्टी-मीडिया द्वारा प्रस्तुतियां दी गई थीं। इस मेले द्वारा इस विचार से १४५ संगठन परिचित हुए थे। बड़ौदा के लगभग डेढ़ लाख लोगों ने यह मेला देखा था और वे इस मुद्दे के प्रति संवेदित हुए थे।

(३) बिल्डरों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम

बड़ौदा में २८ मार्च २००४ को 'बड़ौदा लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपर्स एसेसियेशन' और हैंडिकेप इंटरनेशनल के सहयोग से बिल्डरों को अवरोधमुक्त वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दो अग्रणी स्थपतियों और हैंडिकेप इंटरनेशनल और उन्नति के प्रतिनिधियों ने इसका संचालन किया था। मकान के भीतरी भागों को किस तरह आसानी से सुधारा जा सकता है, इसके लिए उदाहरण के साथ प्रस्तुति की गई थी। 'डेवलपमैंट कंट्रोल रेगुलेशन' के बारे में उसमें जानकारी भी प्रदान की गई थी। आयोजन के स्तर पर ही यदि कुछ डिजाइनें की जा सकें तो वरिष्ठ नागरिकों, बालकों, सगर्भा स्त्रियों और विकलांगों को उसका लाभ हो। बड़ौदा महानगरपालिका के नगर आयोजक श्री गोपालभाई शाह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन-भागीदारी

अजमेर जिले के जवाजा में २९.१.२००४ को और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में ३०.१.२००४ को दो बैठकों के आयोजन हुए थे। इन्हें 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (एम.के.एस.एस.) ने आयोजित किया था। यह संगठन शासन में लोक-भागीदारी के साथ संबंधित काम करता है और राज्य की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व उत्पन्न करने के लिए काम करता है।

जवाजा में आयोजित बैठक जन स्वास्थ्य सभा थी। उसमें जवाजा के 'कम्युनिटी हैल्थ केयर सेंटर' के होस्पिटल के कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, इस क्षेत्र के चयनित प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ हाजिर थे। उसमें नागरिकों को वर्तमान परिस्थिति में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने का प्रयास किया गया था।

क्या करने की जरूरत है और वह किस तरह हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। संगठन एक नियम-पुस्तिका बनाना चाहता है कि जिसका उपयोग विशेष रूप से गरीब लोग कर सकें। उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह प्राप्त की जाती हैं, उनका विवरण दिया जाएगा। लोगों की सहभागिता से जवाजा क्षेत्र के तमाम लोगों को जवाजा के दवाखाने में स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल और गुणवत्तायुक्त सेवा-सुश्रूषा मिले, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था।

इसी प्रकार की दूसरी सभा कुंभलगढ़ क्षेत्र में ३०.१.२००४ को हुई थी। उसमें गरीबी निवारण के कार्यक्रमों और अनाज सुरक्षा कार्यक्रमों

पर तहसील में की जाने वाली देखरेख की समीक्षा की गई थी। पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में चार जन सुनवाइयां हुई थीं। उसमें जो मुद्दे उठाये गए तथा जो नीतिगत निर्णय लिये गए और कार्यक्रमों में जो जरूरी सुधार किये गए, उनकी चर्चा इस सभा में की गई थी।

लोगों को सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान के भाग रूप में सामुदायिक विकास केंद्रों और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में मैन्युअल तैयार करने की बात भी संगठन के द्वारा सोची गई।

अधिक ब्यौरे के लिये संपर्क करें: सर्वश्री निखिल और विवेक, मजदूर-किसान शक्ति संगठन, ग्रामः देवडुंगरी, पोस्टः बरार, जिला:राजसमंद, राजस्थान - ३१३३४१. फोनः २९५१-२४३२५४, २५०६५५, फैक्सः १४६३-२८८२०६

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

फरवरी और मार्च २००४ की लगभग ३५ दिनों की अवधि के दौरान अहमदाबाद जिले की दसक्रोई, धोलका और विरमगाम तहसीलों में 'उन्नति' के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मानाया गया। साबरकांठा की मोडासा और ईडर तहसीलों में भी यह दिवस मनाया गया था। प्रत्येक कार्यक्रम में पंचायतों की महिला सदस्यों ने और स्वयं-सहायता समूहों की नेताओं ने उपस्थिति दी थी।

प्रत्येक स्थान पर ५० से ९० लोग उपस्थित थे। कुल लगभग १४०० महिला-नेताओं ने उत्सव में भाग लिया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे थे। स्वयं सहायता समूहों में से ही बहुत से पंचायत नेता खड़े होते हैं, ऐसा बताया गया। ये महिला समूह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की मजबूती से सहायता प्रदान करती हैं। वहीं परिवर्तन की अभिकर्ता हैं और गांव की अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करके वही उन पर प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण पर असर डालती हैं।

ये महिला नेता अपने आप में और अपने आसपास के वातावरण में बदलाव लाने के लिए जो प्रयास करती हैं, उसका उद्देश्य और अधिक समतापूर्ण समाज निर्मित करना है। अतः इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य

यह होता है कि ये महिलाएं अपने लिए एक दिन निकालें। इस आयोजन का एक उद्देश्य यह भी है कि महिलाएं अपनी साथी महिलाओं और लड़कियों के प्रति समान व्यवहार करें, इस हेतु निर्णय लें।

साथ ही ऐसे प्रसंग का उद्देश्य यह भी है कि महिला नेता अपना नेतृत्व और भी मजबूती से प्रस्तुत करें, इसके लिए वे तैयार रहें। समग्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान महिला नेताओं ने अपने दर्जे और अपने कारणों के विषय में अपने विचार व्यक्त कियेः उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने का निर्णय भी लिया, अपनी पुत्रियों को अधिक स्वतंत्रता देने और अन्य स्त्रियों को ग्राम सभा में उपस्थित होने हेतु प्रोत्साहन देने का निर्णय भी किया आत्मविश्वास और परस्परानुभूति उनके चेहरों पर छलकती दिख रही थी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व क्या है और उसका वर्तमान स्थानीय संदर्भ क्या है, इस बारे में भी चर्चा हुई थी। महिलाओं से यह पूछा गया था कि यदि एक बालक को जन्म देने की बात हो तो क्या वे लड़का पसंद करेंगी या लड़की? बाद में समूह चर्चा में पसंद के कारणों पर चर्चा हुई। अलग-अलग स्थानों पर जो बैठकें हुई थीं, उसमें पुत्र के विवाह, पुत्र की मृत्यु, और पुत्री की मृत्यु जैसे संयोगों की रोल-प्ले द्वारा प्रस्तुति हुई थी और उनमें जो सामाजिक अंतर है उन पर ध्यान दिया गया। गाँव में परंपरागत पंच की जो भूमिका रहती हैं, उसके बारे में लघु नाटक किये गए थे। सामाजिक समस्याओं के हल करने में उनकी भूमिका कैसी होती है, उसकी समीक्षा की गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान पंचायतें और उनमें भी महिला पंचायत सदस्य क्या भूमिका अदा कर

सकती हैं।

सांप-सीढ़ी का खेल भी उन्होंने खेला था, जिसमें पंचायती राज और विकास के विविध पक्षों की प्रस्तुति की गई थी। दलित महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कैसा संघर्ष छेड़ा था, इस बारे में विचार व्यक्त किये गए थे। 'आइडिया' संस्था द्वारा भी १७ मार्च मनाया हया था। बालोतरा तहसील के गोलिया गांव में एक महिला - मेले का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग ७५० दलित महिलाएं उपस्थित थीं।

गुजरात मे साणंद और धोलका में क्रमशः ८ एवं ११ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। उसमें विद्यालयी शिक्षकों, महिला काउंसलरों और छात्राओं ने उपस्थिति दी थी। धोलका में महिलाओं के प्रति की जाने वाली भेदभाव की चर्चा हुई थी। धोलका नगर की शासन-व्यवस्था के बारे में एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया था। शराब और उसके महिलाओं पर प्रभाव के बारे में एक कठपुतली शो भी आयोजित किया गया था। कच्छ में भचाऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला मेला आयोजित किया गया था। आठ गांवों और भचाऊ नगर की लगभग ८० महिलाओं ने मेले में भाग लिया था।

विद्यालयी शिक्षण में पर्यावरण की अभिमुखता

भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने 'विद्यालय शिक्षण में पर्यावरण की अभिमुखता' नामक एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन नवीन और स्थानीय क्षेत्र परक पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन भेज सकते हैं। अहमदाबाद का 'सेंटर फोर एन्वायर्नमैंट एज्युकेशन (सी.ई.ई.)' योजना की नोडल एजेंसी है। वह आवेदन एकत्र करने का काम करेगी और मंत्रालय को आर्थिक सहायता की सिफारिश करके भेज देगी। तीन स्तरों पर इन आवेदनों की जांच होगी। आवेदन तैयार करने संबंधी विवरण और पत्रक सी.ई.ई. के पास से उपलब्ध होंगे। सम्पर्क करें: प्रमोद कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी, सेंटर फोर एन्वायर्नमैंट एज्युकेशन, थलतेज, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोनः ०७९-२६८५८००३, ई-मेलः pramod.sharma@ceeindia.org

भावी कार्यक्रम

मुख्य प्रवाह में महिलाओं के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

गुजरात राज्य के महिला एवं बाल विकास आयुक्त के कार्यालय के 'जेंडर रिसोर्स सेंटर' द्वारा २६ से ३० अप्रैल २००४ के मध्य यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके उद्देश्य ये हैं:

(१) महत्वपूर्ण विकासपरक क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष भेदभाव के विचार का उपयोग करने हेतु सहभागियों की क्षमता निर्माण करना।

(२) स्थानीय स्तर पर महिलाओं की प्रवृत्तियों को मजबूत बनाने हेतु उचित प्रशिक्षण पद्धति के उपयोग हेतु सहभागियों को सक्षम बनाना।

(३) प्रवृत्तियों के आयोजन, देखरेख और मूल्यांकन को स्त्री-पुरुष भेदभाव की दृष्टि से देखने हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सहायता देने के लिए एक संसाधन समूह तैयार करना।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन मुद्दों को समेटा जाएगा: स्त्री-पुरुष भेदभाव का विचार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिला-आंदोलनों का इतिहास, स्त्री-पुरुष भेदभाव के संदर्भ में मूल्यांकन, आयोजन, देखरेख और मूल्यांकन, स्त्री-पुरुष भेदभाव के संदर्भ में अन्वेषण, महिलाओं के अधिकार और संबंधित कानून, महिलाओं की क्षमता हेतु सरकारी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संचालन आदि में स्त्री-पुरुष भेदभाव संबंधी विभावनाओं का उपयोग करना। इस प्रशिक्षण में गैर-सरकारी संगठनों के, सरकार के तथा नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले सकेंगें। 'उन्नति' के निदेशक श्री बिनोय आचार्य और बड़ौदा की 'सहज' संस्था की सुश्री रेणु खन्ना मुख्य विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षण देंगे। भविष्य में प्रशिक्षण लेने वाले विकासपरक प्रवृत्तियों में सभी स्तर पर महिलाओं की समानता के मुद्दे को ध्यान में रखकर काम करें, यह इस कार्यक्रम का परिणाम होगा। वे जो कौशल और समझ इस कार्यक्रम के दौरान विकसित करेंगे, उसका उपयोग इस तरह स्थानीय स्तर पर होगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें: 'जेन्डर रिसोर्स सेन्टर', बराक नं.१, पोलिटेक्नीक केम्पस्, आंबावाडी, अहमदाबाद ३८० ०१५. फोन: ०७९-२६३०१०४३. ई-मेल: grc@egujarat.net

पृष्ठ 1 का शेष भाग

के आकार के अनुसार किया जाता है। यह बीमा आवरण मेडिकल कॉलेज द्वारा चलाऐ जा रहे स्थानीय होस्पिटल साथ जोड़ा गया है। दूसरी कई संस्थाओं ने बीमा प्रीमियम के भुगतान को बचत और ऋण के साथ जोड़ा है।

गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को एक ही व्यापार के आधार पर हमेशा संगठित नहीं किया जा सकता, अतः एक विकल्प बुनियादी जरूरतों के आसपास उनको संगठित करने का है। तथा, बीड़ी मजदूरों का कल्याण कोष, नमक मजदूरों का कोष, बोझा ढोने वाले मजदूरों का कोष इत्यादि व्यवसाय पर आधारित सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए मजूदरों को वे पंजीकृत करें, इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है।

सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर्मचारियों को पहचानने का और संगठित करने का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में सामाजिक समावेश की भावना उत्पन्न करती है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करती है। सरकार, कर्मचारियों, निजी ट्रस्टों और मजदूरों के अपने हिस्से से यदि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो सामाजिक सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, इसे उत्तरदायी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। गरीब लोग अपनी जरूरत के अनुसार सेवाओं का आवंटन तय कर सकते हैं। वे लोग जोखिम के संचालन हेतु अपनी सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के प्रयास, काम की सुरक्षा और सक्षमता को प्रोत्साहन देने की ताकत हासिल कर लेते हैं।

संदर्भ सामग्री

मतदाता मार्गदर्शिका

मतदाता जागृति के प्रयासों के भाग स्वरूप गुजरात राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर प्रस्तुत मतदान व मतदाताओं के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री संकलित करके यह पुस्तिका तैयार की गई हैं। इसमें दी गई जानकारी निम्न प्रकार हैं:

(१) कानून के अनुसार चुनाव संबंधी कदाचार: इसमें दस प्रकार के कदाचार दर्शाये गए है: घूस, मताधिकार में बाधा उत्पन्न करना, धर्म-जाति के कारण मतदाता पर दबाव, अलग-अलग वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करना, आदि।

(२) कानून के अनुसार चुनाव संबंधी अपराध: इसमें दस प्रकार के अपराधों का विवरण दिया गया है: चुनाव सभाएं रोकना, चुनाव संबंधी साहित्य के मुद्रण पर नियत्रंण, मतदान की गुप्तता को भंग करना, मतदान अथवा उसके नजदीक दखल देने या धांधली का व्यवहार करना।

(३) चुनाव की अनिवार्यता का भंग: इसमें चुनाव की कार्यवाही करने वाले लोगों के लिए छह प्रकार के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। इसमें प्रत्याशी को चुनावी कार्यवाही सरकारी कर्मचारी नहीं बजा सकता, मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध आदि बातों का समावेश है।

(४) चुनाव संबंधी अपराध और कानूनी प्रावधान: इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं, अपराधों व सजा की व्यवस्था का एक तालिका दी गई है। इसके अलावा, अन्य कई अपराधों का विवरण दिया गया है।

(५) चुनावों के झगड़ों और विवादों की अर्जियां: इसमें चुनावी विवाद की अर्जियां कौन सुन सकता है, विवाद की अर्जियां कौन प्रस्तुत कर सकता है, विवाद की अर्जी में पक्षकार कौन हो सकता है, इत्यादि की जानकारी दी गई है।

(६) मतदाता सूचियों में झूठे दाखिले, चुनाव अधिकारी को राजनीतिक दलों की धमकी, कानून और व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों को धमकी, बेहिसाबी धन स्त्रोतों का उपयोग, बेहिसाबी चुनावी कोष देना, राजनीति का अपराधीकरण, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, पक्षपाती व्यवहार वाले अधिकारी, लाउड स्पीकर का बिना सोचे-समझे उपयोग, संकीर्ण भावनाओं का दुरुपयोग करना, चुनावी अपराधों को कम महत्व देना आदि बातों के संदर्भ में क्या गलत है और क्या होना चाहिए, इसका विवरण दिया गया है।

लोक व्यवस्था बनाने में सचेष्ट गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तिका बहुत उपयोगी है। संकलन: श्री हरिणेश पंड्या, प्रकाशक: जनपथ, बी-३, सहजानंद टावर, जीवराज पार्क, वेजलपुर रोड, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोन: ०७९-२६८२१५५३, टेलिफैक्स: ०७९-२६८२०७१९

हमारी समझ

गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों के संदर्भ में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। समृद्ध समाज की विविधता को स्वीकार करने वाली ढांचागत परंपराओं को चुन-चुन कर ढूंढना, इस महान शक्ति को मजबूत बनाना, और अपने समाज की समृद्ध विविधता का सम्मान के साथ स्वीकार हो, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना इस पुस्तिका का उद्देश्य है। ऐसी मानसिकता पैदा करने हेतु यह एक प्रशिक्षण पुस्तिका है। पुस्तिका प्रशिक्षकों को पूरा संदर्भ उपलब्ध कराये, कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को पर्याप्त वाचन-सामग्री दे और विकासलक्ष्यी कार्यकर्ताओं को संवादिता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के तत्त्वों को पुष्ट करने हेतु उपयोगी लगे, इस उद्देश्य से यह पुस्तिका तैयार की गई हैं।

इस पुस्तक में जिन लेखों का समावेश किया गया है, वे लेखकों के नाम सहित इस प्रकार हैं:

(१) बीसवीं सदी में गुजरात का समाज-जीवन: घनश्याम शाह

(२) गुजरात का रोग निदान: अच्युत याज्ञिक

(३) गुजरात की दूसरी बड़ी विपत्ति: उपेन्द्र बक्षी

(४) हिंसा का दौर: देवव्रत पाठक

(५) बढ़ते भेदभाव का आख्यान अर्थात् अहमदाबादः दर्शिनी महादेविया
(६) सेक्यूलरिज्म की आधारभूत मान्यताएंः दिनेश शुक्ल
(७) सहिष्णुता की मर्यादाएंः दीपंकर गुप्ता
(८) कौमवादः एक सामान्य परिप्रेक्ष्यः के.एम.पणिक्कर।

प्राप्ति स्थानः समर्थ, क्यू-४०२ श्रीनंदनगर विभाग-२, वेजलपुर, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोनः ०७९-२६८२९००४. ई-मेलः samerth@satyam.net.in

महुआ

यह हिन्दी पुस्तिका 'महुआ मुक्ति आंदोलन' पर केंद्रित है। यह दो भागों में विभाजित हैः

(१) महुआ और आदिवासी अर्थ व्यवस्था के अध्ययन का विवरण

(२) महुआ मुक्ति आंदोलन का विवरण। इसमें महुआ के विविध पक्षों का गहन अध्ययन किया गया है और लगभग १०० महुडा एकत्र करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करके उसके आधार पर यह विवरण तैयार किया गया है। महुआ एकत्र करने वालों की बैठकें आयोजित की गईं और उनकी समस्याओं को लेकर संवाद करने की कोशिश की गई। इस पुस्तक में महुआ एकत्र करने से लेकर उसकी बाजार व्यवस्था के बारे में विवरण प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र के आदिवासियों की अर्थ व्यवस्था किस तरह महुआ के साथ जुड़ी हुई है, इसका विवरण यहां उपलब्ध है। पुस्तक के प्रथम भाग में महुआ और आदिवासी की व्यवस्था, सर्वेक्षण की पद्धति और उद्देश्य, महुआ का स्वामित्व और महत्व, महुआ के संग्रह की प्रक्रिया, महुआ के बेचान संबंधी बाजार व्यवस्था आदि मुद्दों का समावेश किया गया है। दूसरे भाग में महुआ मुक्ति आंदोलन क्या है और उसने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी बात की गई है।

प्रकाशकः दिशा संवाद, ग्राम सेवा समिति, ग्रामः निटाया, पोस्टः रैसलपुर, जिलाः होशंगाबाद ४६१ ००१, मध्यप्रदेश, फोनः ०७५७४-२२७२२३, पृष्ठ ४०

इतिहास की समझ

यह हिन्दी पुस्तक 'सिद्ध' नामक एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा तैयार की गई हैं। इसमें बालकों को यह जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि इतिहास क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हमारे आज के वर्तमान के साथ क्या संबंध है। बालक इतिहास को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है।

मूलतया यह एक मार्गदर्शिका है। इसमें जिन कार्यों और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, वह विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया गया है। सिद्धांतों को आसपास के परिवेश के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि उनके आस पास ही सीखने के लिए बहुत सारा है। विद्यार्थियों के साथ इस मार्गदर्शिका को व्यवहार में उतारने का प्रयोग किया गया है। उत्तरांचल के टिहरी-गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में यह प्रयोग किया गया है पर मार्गदर्शिका इस तरह तैयार की गई है ताकि सभी शिक्षकों के लिए यह उपयोगी रहे। शिक्षक स्थानीय स्तर पर अपने पर्यावरण के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

पुस्तक के प्रथम भाग में इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। यहां इतिहास का अर्थ राजाओं का इतिहास नहीं है, वरन् बालक जिस वातावरण में जीते हैं, वह इतिहास है। प्राकृतिक व्यवस्था और व्यवहारों तथा सामाजिक व्यवहारों संबंधी ज्ञान इसमें इतिहास की दृष्टि से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इतिहास को समझने के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। स्वयं को तथा स्वयं के पारिवारिक इतिहास को समझने की विधि इसमें बताई गई हैं। इस पढ़ने पर बालक समझ जाते हैं कि उनके परिवार का गांव के साथ संबंध क्या था। इसे अलावा, अपने गांव के इतिहास को किस तरह समझा जाता है, इसका भी यहां उल्लेख किया गया है। ग्राम की संस्कृति, ग्राम की आबादी, ग्राम की प्राकृतिक संपदा आदि का ऐतिहासिक संदर्भ के साथ सूचना किस तरह जानी जाती है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है।

पुस्तक के दूसरे भाग में बालकों ने सामूहिक प्रयास से इतिहास को किस तरह समझा, इसकी चर्चा की गई। बालकों के अनुभव उनके अपने शब्दों में ही प्रस्तुत किये गए हैं। इससे स्पष्टतया जाना जा

सकता हा कि बालकों की इतिहास में समझ बढ़ी है और विद्यालय के अध्ययन में उसकी रुचि बढ़ी है। बालकों को उनके मूल के साथ जोड़ने की यह एक प्रक्रिया है और इसके स्पष्ट परिणाम उनके अनुभवों में से देखे जा सकते हैं।

संपादकः पवनकुमार गुप्ताः प्रकाशकः 'सोसायटी फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमैंट ऑफ हिमालय' (सिद्ध), पो.बो.नं.१९, लण्ढौर कैंट, मसूरी - २४८ १७९, फोनः ०१३५-२६३२९०४, २६३०३३६, २६३३९६२ फेक्सः ०१३५-२६३१३०४, ई-मेलः sidhsi@sancharnet.in

चलो खतरे को वरदान बनायें

एच.आइ.वी. / एड्स का प्रसार हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों की आदतों और व्यवहारों के कारण यह रोग शहरों में से गांवों में और आम जनता तक पहुंच गया है। उपलब्ध आकंड़ों के अनुसार युवा वर्ग को इस रोग से बहुत खतरा है। 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (नाको) ने युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में अनेक प्रकार के कार्यक्रम शुरू किये हैं। वह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ही भाग है। उसी ने यह हिंदी पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक का उद्देश्य युवकों व युवतियों को एड्स के बारे में सही जानकारी देना है। यह एड्स से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। भाषा बहुत सरल है।

एड्स (एच.आइ.वी.) क्या है, यह कितना भयंकर रोग है, यह किस तरह फैलता है, यौन संबंधों से कैसे फैलता है, एड्स किस तरह नहीं फैलता, प्रेम व यौन संबंध, एड्स हो जाए तो क्या किया जाए आदि बातों की चर्चा इसमें की गई हैं। सरल भाषा व रंगीन चित्रों के कारण पूरी पुस्तक पढ़नीय-मननीय है। आलेखन और चित्रण : कमला भसीन, बिंदिया थापर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नयी दिल्ली-११० ००१.

एकल मां

यह हिंदी पुस्तक ऐसी स्त्रियों की कहानियों से भरपूर है जो गरीब और अकेली हैं और अपनी संतानों के साथ रहती हुई उनका पालन-पोषण करती हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य थोड़ी सामान्य स्त्रियों की हिंम्मत से भरपूर ऐसी कहानियां प्रकाश में लाना है। सामान्यतया अकेली संतानों के साथ रहने वाली स्त्रियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण विचित्र प्रकार का होता है। इस दृष्टिकोण को बदलना इसका उद्देश्य हैं। भारत में ऐसी अकेली माताओं की संख्या कुछ कम नहीं है। हर वर्ग में एसी स्त्रियाँ होती हैं। गरीब वर्ग में ऐसी स्त्रियों को बहुत बड़ी मात्रा में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष करके वे किस तरह आगे बढ़ती हैं और अपनी संतानों के जीवन निर्माण का काम करती हैं, ऐसी कहानिया इस पुस्तक में प्रस्तुत हैं। इसमें ऐसी बारह स्त्रियों की कहानियां हैं।

पुस्तक के अंत में इन १२ कहानियों और अकेली रहने वाली माताओं की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रेरणा और उद्देश्य, शोध की प्रक्रिया, इतिहास तथा साहित्य में अकेली रहने वाली माताओं, मीडियां में उनके स्थान, विदेशों में अकेली रहने वाली माताओं, सामाजिक अध्ययन में उनके स्थान आदि विषय पर चर्चा की गई है। अगस्त २००१ में इस विषय के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हुई चर्चा का सार भीं इसमें दिया गया है।

जो १२ कहानियां दी गई हैं उनके शीर्षक ही बताते हैं कि संघर्ष की ये कथाएं कितनी जीवंत हैं। कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं: निश्चिय कर लें तो कुछ भी हो सकता हैं; किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया; अभी तो मैं काम कर सकती हुं; इज्जत की रोटी खाऊंगी, झुकूंगी नहीं; अब किसी का डर नहीं; मेरे पास पैसे नहीं प्यार है; बालक पैदा करने का निर्णय मेरा था; मैं ही मुखिया हूं और मैं ही मर्द; हमले के कारण मैंने अकेले एक बालक को गोद लिया; मैं खुश हूं कि मुझे शरण मिल गई। इन कहानियों के लेखक अलग-अलग हैं। संपादिकाः दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा।

प्रकाशकः बुक्स फॉर चेंज, आर-३९, साउथ एक्सटेंशन-२, दिल्ली ११० ०४९. फोनः ०११-२६२६१५०२, २६२६१५०३. ई-मेलः mani@actionaidindia.com मूल्यः ६० रु.

इन तीन महीनों के दौरान हमने निम्नानुसार प्रवृत्तियाँ हाथ में ली थीं:

(१) सामाजिक समावेश और सक्षमता

'इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस' (आइ.सी.एम.एफ) हेतु अधिक ऋण और जीवन निर्वाह के प्रश्नों के बारे में सहभागी प्रशिक्षण पद्धतियों को लेकर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका इरादा द्वितीय स्तर के प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का कौशल बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में आइ.सी.एम.एफ., 'फ्रेंड्स ऑफ द वीमेंस, वर्ल्ड बैंकिंग (एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी.)'और हैदराबाद के 'बेसिक्स' के १८ सहभागियों का समावेश था।

दलित

- राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिलों में 'दलित अधिकार अभियान' की महिलाओं हेतु सहभागी संगठनों के सहयोग से दो-दिवसीय नौ प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। तहसील स्तर के इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य 'दलित अधिकार अभियान' में उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु स्त्री-पुरुष समानता के बारे में उनको अभिमुख बनाना था। इस प्रशिक्षणों में लगभग ८० गांवों की ३१७ महिलाओं ने भाग लिया था। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, हिंसा, विधवाओं की समस्याओं और सम्पत्ति के अधिकार जैसे मुद्दों पर अपनी समस्याएं व्यक्त की थी। महिलाओं के साथ संबंधित विविध योजनाओं की जानकारी भी उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दी गई थी।
- राजस्थान में बाड़मेर जिले की तीन तहसीलों के छः गांवों में महिलाओं की भूमिका के विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ४-५ दिनों की यह प्रक्रिया काम के बंटवारे, संसाधनों की प्राप्ति और अंकुश तथा गांव के स्त्री-पुरुषों को लाभ जैसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कार्यवाही के दो उद्देश्य हैं: समुदाय को संवेदनशील बनाना और 'उन्नति' के द्वारा हाथ में ली गई प्रवृत्तियों के प्रभाव की महिलाओं के संदर्भ में समीक्षा करना। 'दलित अधिकार अभियान' की प्रवृत्तियां पिछले चार वर्षों से चल रही हैं और विगत एक वर्ष से पानी की कमी दूर करने से संबंधित कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है।
- ऊपर जिसका उल्लेख किया गया है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जल-संग्रह की व्यवस्था बनाने में शामिल ग्राम विकास समितियों की क्षमता बढ़ाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। भवन निर्माण कार्य, जल-संग्रह के विविध पक्षों और टांकों के बारे में वहां तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था। सभी नौ तहसीलों के ३५ स्त्री-पुरुष प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।
- स्थानीय स्तर पर जमीनों के कब्जे के सवाल को हाथ में उठाने हेतु 'दलित अधिकार अभियान' सक्षम बने, इसके लिए चेन्नई के आइ.आर.डी.एस. श्री निकोलस के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन २५-२७ मार्च २००४ को जोधपुर में सम्पन्न हुआ। १० गैर-सरकारी संगठनों के २५ नेताओं ने बाद में एक कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की थी। उसमें समुदाय क्या करे, यह तय करने की तहसील स्तर की बैठकों का समावेश था। उसमें सामाजिक कार्य और / अथवा कानूनी कदम द्वारा जमीन के कब्जे दूर करने की कार्यवाही तय करने के बारे में सोचा गया था।
- बाड़मेर और जोधपुर के गैर-सरकारी संगठनों की एक कार्यशाला २०-२१ फरवरी, २००४ के मध्य आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य 'दलित अधिकार अभियान' का आधार व्यापक करना और वर्तमान लड़ाई में उनका सहयोग प्राप्त करके उसे मजबूत करना था।
- सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कालबेलिया समुदाय अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जिसका उल्लेख पहले 'विचार' के अंक में किया गया था। उसे 'उन्नति' के द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। अत्याचार के दो मामलों में कदम उठाये जाने की मांग और दलितों को त्रास देने और घूस मांगने वाले पटवारी के खिलाफ केस करने की मांग

के साथ कलैक्टर कार्यालय के समक्ष २५ जनवरी से १२ फरवरी तक धरने का एक कार्यक्रम इस समुदाय ने आयोजित किया था। इसके प्रत्युत्तर में क्लैक्टर ने ४०० बीघा जमीन उनके लिए मुक्त करने का आदेश दिया था। इन समुदायों की शिकायतों की जांच करने और पटवारी के विरुद्ध अनुशासन भंग करने के कदम उठाने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

विकलांगता

- विकलांगों, वृद्धों, स्त्रियों और बालकों के लिए सार्वजनिक स्थानों अवरोध-मुक्त पर्यावरण उत्पन्न करने के लिए अहमदाबाद के सार्वजनिक बाग लॉ-गार्डन का अन्वेषण किया गया। दिनांक ९-१० जनवरी २००४ को यह अन्वेषण 'अंधजन मंडल' और 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के 'दक्षिण एशिया संसाधन केंद्र' के श्री नंदा के सहयोग से किया गया। इसके बाद गुजरात के सार्वजनिक स्थल विकलांगों के चलने-फिरने की दृष्टि से सुगम बनें इसके लिए प्रतिबद्ध नागरिकों का एक संसाधन समूह तैयार हुआ है। उसके सदस्य भी उस समय उपस्थित थे। अहमदाबाद महानगरपालिका के बगीचे, विशिष्ट सम्पत्ति और उद्यानों के जनरल मैनेजर भी अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। इस बाग को अवरोध-मुक्त बनाने के लिए एक विगतवार विवरण तैयार हुआ है। उसमें जो सुझाव दिये गए हैं, उनकी सर्व प्रथम इस बाग की डिज़ाइन तैयार करने वाले श्री कमल मंगलदास के साथ चर्चा की जाएगी और अहमदाबाद महानगरपालिका के समक्ष ये बदलाव लाने हेतु समर्थन किया जाएगा। इसके लिए निजी कंपनियों का साथ लिया जाएगा।
- 'पहुंच हेतु संसाधन समूह' के महत्वपूर्ण सदस्यों के लिए प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण १९ से २१ मार्च २००४ के मध्य नई दिल्ली के 'सामर्थ्य' के विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों का चलने-फिरने की आसानी की दृष्टि से अन्वेषण करने का कौशल प्राप्त करना था। इस प्रशिक्षण के भाव स्वरूप अहमदाबाद के आइसीआइसीआइ बैंक तथा प्लेनेट हैल्थ के भवनों का अन्वेषण किया था। इस प्रशिक्षण में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर आयोजकों, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के स्थपतियों, डिजाइनरों और विकलांगों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों कुल मिला कर ३० व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- 'यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा' ने जनवरी-फरवरी २००४ के मध्य तीन दिन का एक वार्षिक मेला आयोजित किया था। इस मेले का केन्द्रीय विचार 'विकलांग लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनो' था। और उसमें अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने पर बल दिया गया था। एक अग्रणी स्थपति के समर्थन-सहयोग से पूरा मेला अवरोध-मुक्त बन गया था। मिलने वालों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई थी और मेले के दौरान उपर्युक्त विषय के बारे में लगातार मल्टीमीडीया प्रस्तुति की गई थी। इस मेले द्वारा इस मुद्दे के बारे में १४५ गैर-सरकारी संगठनों की अभिमुखता विकसित हुई थी और मेले को लगभग डेढ़ लाख लोगों ने देखा था।

पुनर्वास

- कच्छ के भचाऊ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन देने हेतु गठित १७ महिला मंडलों की क्षमता बढ़ाने का काम चालू है। इन तीन माह के दौरान उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में उनके साथ संवाद शुरू किया गया था।
- फरवरी २००४ के दौरान 'अखिल भारतीय दस्तकार समिति' द्वारा गोवा और अहमदाबाद में सेंटर फोर एन्वायर्नमैंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलोजी (सी.ई.पी.टी.) में प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया गया। कारीगरों ने उसमें भाग लिया था और वे खरीददारों के साथ सीधे सम्पर्क में आए थे।

(२) नागरिक नेतृत्त्व और शासन

ग्रामीण शासन

- गुजरात में पंचायती राज संबंधी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण किया गया। इन तीन माह के दौरान १५ मिनिट के १३ भाग का प्रसारण हर

शनिवार को रात ८ बजे किया गया। कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद फोन पर और बाद में पत्रों द्वारा खूब प्रतिक्रियाएं मिलती रही हैं।

- दोपहर बाद के समय में आठ भागों का प्रति सप्ताह पुनः प्रसारण किया गया। ३० गांवों में यह कार्यक्रम सुनने के लिए श्रोता-मंडल का गठन किया गया है। उससें हमें प्रतिक्रियाएं मिलती रही हैं और श्रोताओं में कार्यक्रम सुनने की आदत उत्पन्न हुई है। श्रोताओं पर होने वाले असर को जानने के लिए अहमदाबाद और पालनपुर में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इसकी वजह से हमें प्रादेशिक प्रश्नों के बारे में सीधे ही लोगों से चर्चा करने का अवसर मिला था।
- नेतृत्त्व की क्षमता पैदा करने हेतु साबरकांठा और अहमदाबाद जिले की न्याय समितियों के लगभग २०० सदस्यों की सामाजिक न्याय समिति की जरूरत, महत्त्व, और कार्यों के विषयता में अभिमुखता विकसित की गई।
- साबरकांठा सामाजिक न्याय मंच के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण २६-२७ मार्च २००४ के बीच अंबाजी में आयोजित किया गया था।
- राजस्थान में मंडोर, बिलाड़ा और बालेसर तहसील की ४७ पंचायतों में ग्रामसभा के सदस्यों की जागृति हेतु एक अभियान चलाया गया। ग्राम सभा के दौरान आंगनबाड़ियों के लिए सहयोगिनियों के चयन की प्रक्रिया में महिलाएं और दलित भागीदार हों, यह उसका उद्देश्य था।
- राजस्थान में जोधपुर में पंचायतों की स्थिति के बारे में मूल्यांकन करने की कार्यवाही गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग के साथ शुरू हुई। उसमें असहायता में कमी, सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं, क्षमता-वृद्धि, जीवन निर्वाह के विश्लेषण, गांव के स्तरों, संस्कृति और ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सूक्ष्म स्तरीय आयोजन के आधार पर आगामी वर्ष के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार की जाएगी।
- पंचायतों में चयनित प्रतिनिधियों के साथ अनुभवों के विनिमय के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के दौरान जिन दलितों और महिलाओं ने सफलतापूर्वक विविध प्रश्न हल किए थे, उनके अनुभवों की प्रस्तुति हुई थी।

शहरी शासन

- धोलका नगरपालिका और 'शिव गंगोर लोक कला मंडल' के सहयोग से १८ से २० फरवरी २००४ के मध्य धोलका नगर में एक कठपुतली शो का आयोजन किया गया था। इस शो के दौरान नौ झोपड़पट्टियों के लोगों की भागीदारी नगर की समस्या के प्रति बढ़े, इसका प्रयास किया गया था। विशेष रूप से पोलियो, कचरा संचालन, स्वास्थ्य और सफाई, सड़कों की सुरक्षा, बिजली की व्यवस्था, पानी की सुविधा, कर-भुगतान तथा शांति और भाईचारे जैसे मुद्दों पर उसमें ध्यान केंद्रित किया गया था।
- साणंद में नगरपालिका के सहयोग से 'नगरपालिका संदर्भ केंद्र' की शुरूआत हुई है। खेडब्रह्मा और धोलका में 'पंचायत संदर्भ केंद्र' चालू है। इस नगरों में उनके साथ ही 'शहरी संदर्भ केंद्र'की शुरूआत की गई हैं।
- 'सेंटर फोर एन्वायर्नमैंट एज्युकेशन' (सी.ई.ई.) के सहयोग में अहमदाबाद में वटवा अंचल की सभी शालाओं में शांति सुरक्षा के बारे में औद्योगिक क्षेत्रों में विपत्ति के सामने के संदर्भ में निदर्शन दिये गए।
- कच्छ के भचाऊ में नागरिक संमर्थन विभाग द्वारा लगभग १५०० परिवारों के लिए 'भाड़ा' के साथ उनके निवास को नियमित करने के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई थी। पांच गैर-सरकारी संगठनों की ओर से यह विभाग गरीब लोगों के गृह-निर्माण हेतु सहायता देने का काम पूरा करता है।

- जोघपुर जिले के बिलाड़ा नगर में नागरिक दस्तावेज तैयार करने हेतु एक दिन की विमर्श सभा आयोजित की गई थी। उसमें विविध हितैषियों के साथ सफाई के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। नगर के असहाय परिवारों को पहचानने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
- अनेक क्षेत्रीय इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में विस्तृत विवरण इस अंक में अन्यत्र प्रकाशित किया गया है।

(३) 'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

स्थानीय स्तर पर विकास में महिला की भूमिका और सहभागिता के बारे में एक लेखन-स्पर्धा का आयोजन गत वर्ष किया गया था। प्रथम पांच विजेताओं का इनाम वितरण का और नियमित लेखकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम इस वर्ष आयोजित किया गया। इन तीन माह के दौरान २६ पत्रकारों ने जानकारी हेतु सम्पर्क स्थापित किया था। महिलाओं और जमीन की मालिकी तथा दक्षिण गुजरात में आदिवासियों की समस्याओं के बारे में माध्यमों के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया था।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-8012967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।